




NEWS LETTER

JANUARY 2021 - JUNE 2021



Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur



National Legal Services Authority New Delhi



OUR VISION

To build a system for inclusive and holistic growth of people living on the fringes of society and ensure accessibility to justice for all.


OUR MISSION

To empower marginalized sections of society through legal awareness, adequate representation and literacy and bridge the gap between beneficial schemes and the entitled beneficiaries.

To strengthen the system of Mediation, Lok Adalat and other ADR modes, to dispense quick and affordable resolution of disputes and give people the skills for resolution of their own disputes.



HON'BLE SHRI JUSTICE N.V. RAMANA
Hon'ble The Chief Justice of India
& Patron-in-Chief, NALSA



HON'BLE SHRI JUSTICE R.F. NARIMAN
Hon'ble Judge, Supreme Court of India
& Chairman SCLSC & MCPC



HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
Hon'ble Judge, Supreme Court of India
& Executive Chairman, NALSA



M.P. State Legal Services Authority Jabalpur



Justice Mohammad Rafiq
CHIEF JUSTICE
&
PATRON IN CHIEF,
M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY




191, South Civil Lines,
JABALPUR - 482 001
Phone : 0761-2678855 (R)
: 0761-2626746 (R)
: 0761-2626443 (O)
Fax : 0761-2628833



HON'BLE SHRI JUSTICE MOHAMMAD RAFIQ
Hon'ble The Chief Justice, M.P. High Court
& Patron-in-Chief, MP SLA




HON'BLE SHRI JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA
Hon'ble Administrative Judge, M.P. High Court
& Executive Chairman, MP SLA



HON'BLE SHRI JUSTICE SHEEL NAGU
Hon'ble Judge, M.P. High Court
& Chairman HCLSC Gwalior



HON'BLE SHRI JUSTICE SUJOY PAUL
Hon'ble Judge, M.P. High Court
& Chairman HCLSC Indore



HON'BLE SHRI JUSTICE ATUL SREEDHARAN
Hon'ble Judge, M.P. High Court
& Chairman HCLSC JABALPUR

MESSAGE

"We win Justice quickest by rendering justice to the other party."

- Mahatma Gandhi

The Legal services Institutions in Madhya Pradesh are committed to minimize inequalities amongst individuals and groups residing in different areas or engaged in different vocations and have always tried to further the principle of 'Equal justice in Action'.

Free and competent legal services have been incorporated in the legal system, to make justice accessible to the marginalized sections of society but due to illiteracy, ignorance or unawareness, a large section of our society, particularly those who live in remote areas, still remain deprived of the advantages of such welfare legislation and schemes. Lack of information and knowledge very often leads to deprivation of statutory entitlements and schematic benefits.

For making the aforesaid mission successful and in ensuring access to justice for all, the MP State Legal Services Authority is also working hard in implementing various strategic and preventive legal aid schemes introduced by NALSA to extend the benefits of the welfare enactments and social security schemes to the persons who are deprived of justice and a dignified life.

This Newsletter is a step in the direction of spreading awareness of activities taken up in the course of the post few months.

(Mohammad Rafiq)



Justice Prakash Shrivastava

Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh
Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority

MESSAGE OF HON'BLE THE EXECUTIVE CHAIRMAN

"Legal aid is not a charity or bounty, but is an obligation of the State and right of the citizens."

Center For Legal Research and Anr. Vs. State of Kerala, (1986) 2 SCC 706

Legal awareness strengthens the rights of people and is an instrument to prevent exploitation and deprivation of benefits to the poor. The need of the hour is to reach out to people at the grass root level and spread awareness of basic rights and duties.

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority has endeavored to improve the quality of Court based Legal Services through focusing on monitoring mechanisms and basic units such as Front Offices, Legal Aid Clinics in Colleges/Schools apart from capacity building of the PLVs and the Panel Lawyers.

The launch of the first biennial issue of the Newsletter for the year 2021 is an endeavor by M.P. State Legal Services Authority to sensitize litigants and the public at large about its multi faceted activities and its role as a bridge to ensure accessibility to the beneficial schemes of the government. The constraints of the lockdown and corona pandemic have been effectively overcome through use of digital modes of reaching out to the needy persons.

I am confident that through the medium of this newsletter information shall be disseminated about various schemes and programmes conducted under the aegis of Legal Services Authority in the period January 2021 to June 2021. Legal Services is and shall always remain a dynamic process in keeping with the lofty ideals of the Constitution of India to ensure equality and justice upto the last mile.


(Prakash Shrivastava)



Giribala Singh
(Principal District & Sessions Judge)
Member-Secretary



M.P. State Legal Services Authority
574, South Civil Lines,
Jabalpur (M.P.) - 482001
Ph.: 0761 -2627370 (O), 0761 -2602511 (R)
Mob.: 9425163277
Fax: 0761-2678537 (O)
E-mail: mpslsajab@gmail.com
singh.giribala@gmail.com

From the Editor's Desk...

Greetings from MP SLSA!

The Legal Services Institutions have continued to adapt and persevere through the difficult times visited by the global pandemic. Apart from Legal aid and advice, services have expanded to providing accessibility to health care, protection of the environment, needs of marginalized sections including women, children, senior citizens and jail inmates including assistance for performance of the last rites of the dear departed!

The toll free helpline number has served as a lifeline for people in distress during the lockdown both from within and outside the State. Trainings have continued as before through online modes, saving time and resources and providing flexibility in learning. There has been space for reassessment of the skills of trainers through simulated exercises and each such experience has been a learning process for all.

We have also seen the efforts by the pro-bono community in tune with the Legal Services Institutions for public and social interest. Highlights of the last six months reflect that though the pandemic exacerbated issues, but the support of legal services re-affirmed commitment to access to justice.

This Newsletter has emerged as a platform for the Legal Services Institutions to showcase their endeavors cutting across barriers of difficult geographical terrain, lack of awareness among people and language issues. It is dedicated to the efforts of all duty holders at various levels. Inclusion of the segment "Jail Ki Pati" has emerged as a platform for jail inmates to express their ideas.

Looking forward to candid feedback and suggestions for improvement at mslsamps@gmail.com.



(Giribala Singh)
Member Secretary,



CONTENTS

Celebrating Republic Day (26.01.2021)
Working for Environment
World Environment Day (05.06.2021)
Panch 'J' (Narmada Swachhta Abhiyan)
Tree Plantation & other activities
Accessibility To Good Health
Blood Donation Camp (26.06.2021)
Aayushman Bharat Scheme
Helping hand in Pandemic
Vaccination Drive by DLSAs
Women Empowerment
Establishment of "Urja Mahila Help Desk"
International Women Day
Legal Services to Children under NALSA Scheme
Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme
Reaching Out to Jail Inmates including Yoga Camps
Online Training Program for the Prison Officials
Jail Inspection by DLSAs
Articles of Jail Inmates
Legal Aid Clinic
Concept
Statistical Information of LAC
Inauguration
Mediation
Training Programmes
Community Mediation with Statistical information
Lok Adalat Programmes
Training and Webinar
Litigation Free Village Scheme including Corona Free Village
Celebration of Bharat ka Amrit Mahotsava
Statistical Information
Media Coverage



Celebrating Republic Day (26.01.2021)



Flag hoisting, Release of Hand Book on "Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications " and Booklet on "Paralegal Volunteer Child Rights Manual"

26th January 2021 was a red letter day for MPSLSA with the launch of Release of Hand Book on "Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications " and Booklet on "Paralegal Volunteer Child Rights Manual" apart from flag hoisting by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief MPSLSA in presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Hon'ble Executive Chairman MPSLSA and companion Hon'ble Judges of the Principal Seat High Court of M.P.



Maintaining safety standards of physical distancing, the Handbook on "Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications" and Booklet on "Paralegal Volunteer Child Rights Manual" was released in the presence of Registrar General, Member Secretary and officials of M.P. State Legal Services Authority. The handbooks are ready reckoners for all duty holders working and committed persons working for the cause of child rights.



The highlight of the day was the Gudumb Baja & Karma dance by tribals from Mandla and Dindori showcasing their vitality and rich culture. This occasion was also marked with cultural programs by children of Balgrah Jabalpur and law interns, portraying themes of unity and integrity. Along with this, an exhibition with display of tribal products viz. kutki, kodu and other food items, pure honey extracted from the forest areas, bamboo products, tribal paintings and other arts and artifacts at reasonable prices. The products made in the Central Jail Jabalpur by the prisoners were also included in the exhibition.




Visiting the Tribal Stalls



Felicitation of the Tribal Dance



Publications



Working for Environment

Panch 'J' Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J' i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a large tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

- (a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.
- (b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

A Cleanliness and Conservation Campaign on the banks of Maa Narmada

On 21.02.2021, under the guidance of Hon'ble the Patron-in-Chief & Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, a Cleanliness, Conservation and Awareness Campaign was initiated cumulatively in 15 Districts of M.P. through which the river flows. The target was to commence a cleanliness and awareness operation at the "Ghats" situated on the bank of the river & also to mobilize the local residents, NGO's, Students, local bodies etc. towards maintaining the purity of the river water.

The campaign started sharp at 11:00 am in all the 15 Districts i.e. Jabalpur, Anuppur, Mandla, Dindori, Narsinghpur, Hoshangabad, Mandleshwar, Khandwa, Harda, Dewas, Raisen, Sehore, Dhar, Alirajpur and Barwani by cleaning the banks and ghats of River. Officers & officials of Legal Services Authorities, Judges of District Judiciary, Officers from Revenue department, officials from local Nagar Palika, Students of Legal Aid Clinics established under Law and other colleges and NGOs were present.

The holy River Narmada also called as Reva or Narmada is located in Madhya Pradesh & Gujarat. It would not be an exaggeration if it be called "Life line" of our state looking at its huge contribution in many ways. But due to mass bathing and chemical wastage the physicochemical analysis of river, water clearly shows that water quality is deteriorating day by day. Therefore conservation and preservation of the river becomes one of the topmost priority.

This excellent expression of optimism reminds us that even small things have mighty impact. The entire initiative was based on promoting the thought that with the intent of protection of the environment, we must create a place where the environment doesn't need protection at all.



During the said campaign, shopkeepers at “Ghaat” were advised to maintain hygiene around their shops and also make the people aware about this. Certain districts have also registered petitions under the Public Utility Services, where it has been found that institutions have been pouring their sewage and waste material directly into the river without effective water treatment.

The Legal Services Authorities across the M.P. will review the campaign by regular monitoring of Narmada cleanliness after this campaign with help of college students from Legal Aid Clinics.



Member-Secretary flagging of the River Cleanliness Campaign



Member-Secretary SLSA along with Chairman DLSA Jabalpur and other officials cleaning Gwari Ghat Jabalpur

Environment is a gift to us, save and secure it.

- Anonymous



Cleanliness is a mindset- a positive habit that keeps the body, mind and environment happy, healthy, simple, neat and delightful.

- Amit Ray



Celebrating World Environment Day

05-06-2021

Madhya Pradesh has adopted the 'Panch J' concept namely conservation of Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) as an essential step in maintaining the ecosystem along with addressing needs of those persons whose livelihood is dependent on environment. This scheme has been taken up keeping in view the guidelines under NALSA- (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015.

The government has been requested to appoint Nodal Authorities upto the Taluka Level for concentrating on positive environmental outcomes such as ground water recharge, soil protection, water and biodiversity conservation, sustainable food production. Apart from this it has been resolved that issues of land degradation shall be examined and efforts shall be made to build local resilience to the effect of climate change such as moisture stress, delayed onset of rainfall, droughts and floods.

The Nandan Phal Scheme for plantation of fruit bearing trees and Kapil Dhara Scheme for rejuvenating water bodies has been planned along with measures for water conservation and water harvesting, horticulture plantation on land owned by SC, ST, BPL, Small Farmers and Marginal Farmers, renovation of traditional water bodies including distilling of tanks, drought proofing (including afforestation).

The focus has been on spreading awareness on three (3) "R"s - Reduce, Reuse & Recycle, composting of food waste and enriching the soil, choosing reusable over single-use, creativity through up-cycling, taking care of animals, wildlife as they are an integral part of the ecosystem- any break in the food-chain leads can be counter-productive.

Online Inauguration of Bengali Community Mediation Centre by Hon'ble Executive Chairman Tree Plantation by Members of Bengali Community The World Environment Day 05th June 2021 was marked with online inauguration of Bengali Community Mediation Centre by Hon'ble the Executive Chairman MP SLA and a tree plantation programme at the Centre.



Online Inauguration of Bengali Community Mediation Centre by Hon'ble Executive Chairman



Tree Plantation by Members of Bengali Community

At the Office of MP State Legal Services Authority, PPE Kits along with Masks and Hand gloves were donated by Narmada Gelatin Company were handed over to Civil Surgeon Govt. Victoria Hospital Jabalpur and the Officers/officials of the Victoria Hospital participated with MP SLA for tree plantation.



Handing Over PPE Kits & Tree Plantation at MP SLA



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'पंच-ज' अभियान के अंतर्गत एक अनोखी पहल करते हुए सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण करने का कार्य किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा न्यायालय परिसर में दिनांक 14.06.2021 को पक्षकारों को पौधे एवं सीड बॉल्स वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त अवसर पर जानकारी दी कि यह एक ऐसी पहल है जिसमें वृक्षारोपण हेतु किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु मिट्टी की बॉल के अन्दर ही पौधे के बीज को रख दिया जाता है। इस बॉल को जहां भी फेंका जाता है वह पौधा बन जाता है। इस अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा लगभग 10 तरह के बीजों से सीड बॉल्स तैयार की गईं, तदोपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण, पुलिस बल, पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा मंदसौर शहर के नयाखेड़ा बायपास पर जाकर सीड बॉल्स का वितरण ट्रक, बस, कार एवं मोटर सायकल चालकों को किया गया एवं उन्हें सीड बॉल्स को रोड के किनारे झाड़ियो या कच्चे स्थान पर फेंकने हेतु अनुरोध किया। राहगीरों द्वारा उक्त कार्य की सराहना की गई।



"One of the first conditions of happiness is that the link between man and nature shall not be broken."
-Leo Tolstoy



Tree Plantation Drive by DLSAs





Accessibility to Good Health

Blood Donation Camp (26-06-2021)

Campaign by Legal Services Institutions replenishes blood banks by 3000 units in a single day.

Blood is the most precious gift that anyone can give to another person – the gift of life. A decision to donate blood can save a life, or even several if blood is separated into its components – red cells, platelets and plasma – which can be used individually for patients with specific conditions. It would be apt to mention that with the corona pandemic affecting large number of people across the State, the entire medical system was over burdened and large number of patients were reported battling between life and death and blood banks ran dry.

It is noteworthy that Hon'ble the Division bench of High Court of Madhya Pradesh in WP W.P. No. 9379/2021 observed that only 3600 units of blood are available against the requirement of 5600 units in 112 blood banks of the State, hence it was expected that sufficient



quantity of blood should be available in the blood bank in the State. It was in this context that the Bench directed –

“State Authorities including Director of Health Services, Director of Blood Banks and the Addl. Director of Health Services to issue necessary appeal to the blood donors and organize number of blood donation camps district wise adhering to the Covid 19 norms and protocols.....”

With an area of 3,08,245 sq.km, Madhya Pradesh is the second largest State in India. Due to the different linguistic, cultural and geographical environment, and its peculiar complications, Madhya Pradesh has been largely cut off from mainstream development and ranks very low on the Human Development Index. Where habitations are miles away, means of transport few and dear, the accessibility to good health is often elusive to the common man. The Corona Pandemic dealt a severe blow to the overworked medical system.

M.P. State Legal Services Authority took it upon themselves to follow the mandate of ensuring accessibility of good health to all. Under the able guidance of Hon'ble the Chief Justice and Patron in Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority Justice Shri Mohammad Rafiq and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman MP SLA, a blood donation campaign was launched throughout the State in coordination with Health Department. For this purpose, policy guidelines were drafted which involved coordination with the government agencies fanning across the State from the headquarters upto the taluka level. There are around 30-40 Para Legal Volunteers (PLVs) in every district and who have been selected for their zeal to work for needy persons. These PLVs effectively coordinated with the District Legal Services Authority and Taluka Legal Services Committee along with accredited NGOs to create awareness among people of the benefits of blood donation and how they can render their services at such a time of a National crisis. Banners and posters were flashed across the State while Para Legal Volunteers reached upto the village level to facilitate people who were willing to come forward for the blood donation campaign observing strict compliance of the covid protocol for this noble campaign.

After the ground work preparations and registration of volunteers the programme was flagged off through online inauguration on 26.06.2021 at 10:00 am by Hon'ble the Executive Chairman, Shri Justice Prakash Shrivastava who enlightened the participants on the relevance of blood donation both for the donor and the donee while district legal aid officer Deepak Sharma, a donor on 40 previous occasions reflected on what motivates him for blood donation. The Director Health Services delivered the vote of thanks with a special mention of the huge contribution by the Legal Services Institutions through this endeavor at a time when blood banks are facing acute blood shortage in the Pandemic era.

With this motivational background, all District Legal Services Authorities organized blood donation camps in coordination with health department and other duty holders at District and Taluka level. The total blood donation on a single day i.e. 26th June 2021 was a record of more than 3000 units. While donors were enthused to continue in the donation campaign, the blood banks reported inability to store additional blood units. Therefore, the campaign has been eazed out over a fortnight at the end of which it is expected that through this small but important step there shall be more than 5000 units to replenish the existing vaccum in blood banks.

The outcome of this campaign has been hailed by all as an important step to provide accessibility to good public health to all persons.

“Donate your blood for a reason, let the reason to be life”

- Anonymous

Madhya Pradesh State Legal Services Authority

Welcome to online Inauguration of State Level Blood Donation Camp

Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava
(The Executive Chairman, MP SLA)

Giribala Singh
(Member Secretary, MP SLA)

26th June 2021 10:00AM through Cisco Webex

म. प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वाधान में

रक्तदान शिविर

"खून दो और दुनिया को धड़कने दो"

दिनांक - 26/06/2021 समय - प्रातः 10 बजे से

स्थान - जिला चिकित्सालय, दतिया (म. प्र.)

एक रक्तदान, बचाये कई जान

आयोजक :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया (म. प्र.)

नोट: - कोविड वैक्सीनेशन करवाने के 15 दिन पश्चात 'रक्तदान' किया जा सकता है।



Glimpses Of Blood Donation Camp Activities By DLSAs





Certifications to Donors



Public Awareness Rally organized across the State under Ayushman Bharat Scheme

MP SLSA took a clarion call for ensuring basic health facilities under the Ayushman Bharat Scheme to all entitled persons in coordination with the Health Department and local administration. Recognizing that access to health is a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India, a statewide campaign has been launched commencing from 03.03.2021 under the caption "Apke Dwaar Ayushman".

The campaign was flagged off by Hon'ble the Administrative Judge Principal Seat Jabalpur & Executive Chairman from the office of the M.P. State Legal Services Authority while at the District Court level the District Judge/Chairman DLSA flagged off the rally from the District Court Campus. The bike rallies converged at the Medical College/District Hospital where a small camp was also held to make patients and their attendants aware of the facilities available under the Ayushman Bharat Scheme. At the Netaji Subhash Chandra Bose Medical College Jabalpur a help-desk was set up and Ayushman Cards of 47 eligible persons were prepared by the Ayushman Mitras.

Through this step it is expected that the MPSLSA, in coordination with the Government functionaries, shall successfully reach out to under-privileged people across the State and ensure their accessibility to optimum health facilities and the right to live with dignity through free treatment facilities extending up to Rs. 5 lakhs annually for every card holder.





Public Awareness through Rally





Helping Hands in Pandemic

वैश्विक महामारी के दौर में भी सामाजिक हित में संवेदनशीलता के साथ प्रयासरत है विधिक सेवा प्राधिकरण

माननीय मुख्य न्यायाधीपति एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधीपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में वैश्विक महामारी के दौरान भी सामाजिक हित में अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

लॉकडाउन अवधि में भी मध्य प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर जनहितकारी कार्यों का संपादन किया है। साथ ही पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालेंटियर को वेबिनार एवं विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर आपदा प्रबंधन, कोरोना वायरस से बचाव, तथा राष्ट्रीय फ्री लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जन जागरूकता के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा “दो गज की दूरी मास्क है जरूरी” जैसे स्लोगन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ मास्क का वितरण एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और जरूरी सेवाएं देने के लिए मध्यप्रदेश एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की अनूठी पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय को इफ्का लेबोरेटरी एवं स्थानीय बैंकों के सहयोग से चिकित्सा उपकरण एवं पलंग, गद्दे, तकिये, चादर, ऑक्सीजन वाल्व, आई.वी. सेट, पी.पी.ई. किट, ऑक्सीमीटर, स्ट्रूल, मेडिसिन किट तथा एन-95 मास्क प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त महामारी के संक्रमण के प्रकरणों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता महसूस होने पर ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक दवा जैसे रेमडेसीविर इंजेक्शन आदि प्रदाय करने में सहायता की गई।



इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर की टीम द्वारा जय कैला माता शैक्षणिक समिति संस्था के सहयोग से जरूरतमंद व्यक्तियों को राशि रुपये 1/- प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई मेडिकल उपकरण किराए पर दिए जा रहे हैं।



PLVs in Action

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं) योजना 2010 के अंतर्गत “दो गज दूरी मास्क है जरूरी” एवं “टीका ही संजीवनी” अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम मानपुरा एवं ग्राम अंतरवेलिया में सड़क पर पैरा लीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना रोकथाम बचाव जागरूकता के लिए रंगोली बनाकर एवं टीकाकरण हेतु जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया एवं आमजन को निःशुल्क मास्क वितरण किये गये।



रोचक जागरूकता संदेश मार्ग पर...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा झाबुआ नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं) योजना 2010 अन्तर्गत दिनांक 13.05.21 को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा “दो गज की दूरी है जरूरी” एवं “टीका ही संजीवनी अभियान” अन्तर्गत जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हुये झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों कोरोना संक्रमण रोकथाम बचाव हेतु घर घर जाकर निःशुल्क मास्क वितरण किया गया।



...एवं दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर के पी.एल.वी. द्वारा कोरोना पीडित व्यक्ति की सहायता हेतु अथक प्रयास किये गये, किंतु उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उसके परिवार में उसकी पुत्री के अतिरिक्त और कोई नहीं था, जिस कारण जिला प्रशासन के सहयोग से पी.एल.वी. द्वारा उसका अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई एवं उसका अंतिम संस्कार किया गया।



अंतिम श्रद्धांजलि

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा

कोरोना संक्रमण काल में भी अपनी कर्मठता से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा के पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा स्वेच्छा से जिला विदिशा के शव दाह ग्रह स्थल पर जाकर मृतकों के दाह संस्कार में परिजनों का पूरा सहयोग किया जा रहा है। पैरालीगल वालंटियर्स की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स को पीपीई किट प्रदान की गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा मंदसौर के मुक्तिधाम में लकड़ियों की कमी आने पर मानव धर्म निभाते हुए लकड़ियों की व्यवस्था की गई।



दिवंगतों को समर्पित आहुति



Helping Hands





Helping Hands

Reaching out to the last miles.



May 25
Madhya Pradesh State



Shot on OnePlus
Powered by Quad Camera



Providing Medical Kit & equipments to Needy People





NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

Bancchada Community

Bancchada is a tribe in Central India traditionally identified with prostitution and classified in the British era as criminal tribe, presently listed as "Schedule Caste".

In this community, the birth of the girl child is celebrated as the girl child is seen as a means to earn a fast buck. The stigma attached with prostitution keeps the families of this community away from the main stream of life and the common refrain among them is "when there is no employment what does one do?"

The District Legal Services Authority Ratlam, Neemuch and Mandsaur took special steps to change prostitution as a way of life for families of this region with an endeavor to educate young boys and girls of the community. Books have been distributed not only at the district level but also at the tehsil level to the children of the Bancchada community for competitive exams.

By these steps Ratlam, Neemuch and Mandsaur are taking followup action and monitoring the needs of persons of the Bancchada Community in accordance with the NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015.

It is expected that children when they dropout from schools with new mindset, avenues of employment will open up for these marginalized sections.

Further, they were facilitated with an artificial limbs in coordination with the government authorities apart from rendering services in making ration cards, adhaar cards.



Vaccination Drive by DLSAs

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा आमजन में वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया।

ट्रांसजेंडर्स समुदाय भी टीकाकरण में रहा अग्रणी...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग तथा थर्ड जेंडर पैरालीगल वालेंटियर संध्या घावरी एवं नूरी खान के विशेष प्रयासों इंदौर शहर में किन्नर समाज के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित किया गया।





Empowering Women

Online inauguration of "Urja Mahila Help Desk" in 700 Police Stations of the State by Hon'ble Executive Chairman MP SLSA

In a bid to empower women of the State and to facilitate legal help/counseling for women at various police stations across the State, M.P. State Legal Services Authority collaborated with M.P. Police for establishing women oriented help desks at 700 Police Stations in the State of Madhya Pradesh.

In this regard, online training programmes have been conducted to sensitize those police officers who would be manning these help desks. Apart from provisions of Dowry Prohibition Act, PCPNDT Act, DV Act, Prohibition of Child Marriage Act, Maintenance Act, Juvenile Justice, other Rights of Women including free legal aid and more important had a segment on empathetic communication to make the first point of contact for victims people friendly.

Further, for wider publication among the people, MPSLSA has also provided study material, pamphlets, brochures, banners etc.

The 700 Urja help desks were inaugurated on 31.03.2021 by Hon'ble the Executive Chairman MPSLSA with online presence of Director General of Police, ADGP (CAW), PS (Women & Child Development, Health) ACS (Home & GAD) and the duty holders of 700 help desks including Collectors, SPs and all DLSAs.



Hon'ble Executive Chairman addressing to duty holders of "Urja help desks"



Hon'ble Executive Chairman MPSLSA Releasing the SOP for Urja Mahila Help Desk







With this small but important step an endeavor has been made to increase accessibility to platforms for victims especially women and children and increase faith in the justice dispensation system.



Imparting training to duty holders by MPSLSA

Books Published for "Urja Help Desk"



'Urja Mahila Help Desks' started at 700 police stations in State

Staff Reporter

WITH an aim to facilitate women at police stations, 'Urja Mahila Help Desks' have been inaugurated at 700 police stations throughout the State under the Women's Crime Branch, Madhya Pradesh Police, on Wednesday. Chief guests on the occasion were Administrative Judge and Executive Chairman, Prakash Shrivastava who applauded the initiative of opening Urja Mahila Help Desk at 700 police stations. Establishment of women help desks will facilitate women while lodging their complaints. He expressed the need of being sensitive while interacting with women complainants to materialize the vision of starting women help desk. On the occasion, Divisional Commissioner, B Chandrasekhar, IG, Jabalpur Zone, Bhagwant Singh Choudhan, Superintendent of Police,



Guests during the online inauguration of

संजीवनी बनेगी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क

हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति प्रवर्तन श्रीवास्तव ने किया ऑनलाइन शुभारंभ



कार्यक्रम संयोजक | अध्यक्ष के प्रतीक पीठ पर महिला के प्रति संवेदनशीलता के साथ

यहां कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं स.प. से संवेदनशीलता के कार्यक्रम अग्रणी न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के 700 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत होगी। यह शुरुआत महिला सशक्तिकरण दिना में एक अभिनव पहल है। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है।


महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ अभिनव पहल : जस्टिस श्रीवास्तव



हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं स.प. से संवेदनशीलता के कार्यक्रम अग्रणी न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने किया ऑनलाइन शुभारंभ

महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ अभिनव पहल : जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क को शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है।

Flex for "Urja Help Desk"





Empowering Women through Awareness

The object of Awareness camps to promoting women's sense of self-worth, to determine their own choices, and their rights for themselves and others.

Women's empowerment and promoting women's rights have emerged as a part of a major global movement and is continuing to break new ground in recent years. Days like International Women's Empowerment Day are also gaining momentum.

Celebrating International Women's Day

(08.03.2021)

On the occasion of International Women's Day 08.03.2021 Madhya Pradesh State Legal Services Authority directed to all DLSA across the state to conduct awareness programmes for women to aware them for their rights and upliftment.

In this campaign legal awareness cum inspection programmes were also organized in jails for women prisoners to provide information regarding their legal rights and to solve their problems.

In the same vein, a workshop was organized in the office of Madhya Pradesh State Legal Services Authority. In the said workshop, Officers of authority apprised to gathering about laws related to women and also female employees were honored for their work performance.



Additional Secretary addressing to participants





Empowering Women through Legal Awareness Camps



Legal Services to Children under NALSA Scheme

Bringing Dropout Children Back to School Campaign

In accordance with the NALSA Child Friendly Scheme 2015, Legal Services Institutions across the State have been conducting dedicated programmes for children in need of care and protection and enforcement of child rights. For this purpose public awareness and sensitization campaigns against child marriage, child labour, child abuse have been conducted apart from organizing drawing and essay competitions.

Observing that low rate of education increases the number of school dropouts and consequently increases the incidence of child marriage creating a vicious cycle where women subsequently cease to contribute effectively to the economy not only of the family but also of the society, Hon'ble the Executive Chairman was pleased to approve the innovative Back to School Campaign. Those children who never enrolled at schools and also those children who dropped out of schools or had not attended schools for three months shall be considered to have dropped out.

Accordingly following guidelines were issued for a State wide campaign:-

- Identification of children who are forced to stop their education before completion of Senior Secondary Examination due to any reason, whether economical or social;
- Identification of the reasons for drop-out of children especially the girls;
- Removing difficulties which forced the children to leave their schools before completing their education up to XII standards;
- Getting children re-admitted in school and enabling them to continue study until they complete their education upto XII standard;
- Providing books, copies, stationary, bags, dresses etc. with the assistance of the State Government to these drop-out children to enable them to continue their study;
- Monitoring such children to ensure that they may complete their education upto XII standard;
- Ensuring cooperation of Education Department, Social Justice & Empowerment Department and District Administration to facilitate these children to complete their education.

Several DLSAs flagged off the "Back to School Programme" for bringing dropout children back to schools. DLSA Ashoknagar took up a special drive for school children in Village Madhogarh inhabited largely by the Pardi Community.





शाला त्यागी बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार 01 अप्रैल 2021 से चलाये जा रहे "शाला त्यागी बच्चों हेतु अभियान" अंतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा दिनांक 31 अप्रैल, 2021 को ऑनलाईन वर्चुअल माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स को 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त अवसर पर पैरालीगल वालेंटियर्स को शाला त्यागी बच्चों को उन्हें चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम



दिनांक 25.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, तहसील न्यायालय जावरा द्वारा जावरा ब्लॉक के ग्राम परवेलिया, सेमलिया, चिकलाना, ढोढर, मोयाखेड़ा, माननखेड़ा, पिपलिया जोधा एवं हनुमंतिया में बांछड़ा समुदाय के छात्र-छात्राओं के आगामी शिक्षा अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त पुस्तकों का सेट ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच को सौंपा गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि समस्त पुस्तकों का रिकॉर्ड एवं छात्र-छात्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों का लेखा रखें। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं शासन द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बेहतरीन चित्रकारी की गई। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर निबंध लिखकर प्रतियोगिता में भाग लिया गया।



Organising Inspection, Camp & Workshop For Children





Celebrating World Day Against Child Labour (12.06.2021)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आमजन को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना करा कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 12.06.2021 को 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' के अवसर पर एन.जी.ओं. एवं पैरा लीगल वालेंटियर्स के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त दिवस पर आयोजित शिविरों में बाल श्रम संबंधी कानून, चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नंबर 1098, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के संबंध में जानकारी दी।



Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

'तेलंगाना से भटकी वृद्धा राजम्मा को पहुंचाया घर'

दिनांक 28.12.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला जो कि हिन्दी भाषा नहीं जानती है और अपना नाम व पता भी नहीं बता पा रही थी, वह भटक कर रेल से खण्डवा आ गई है और शहर में असहाय और बेबस भटक रही थी, जिसको स्थानीय समाजसेवियों की मदद से वृद्धाश्रम में आश्रय दिया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वृद्धाश्रम के अन्य वृद्धों से चर्चा करने पर महिला के तेलगु भाषी होने की जानकारी होने पर आश्रम के संचालक के समन्वय से तेलगु भाषा के जानकार व्यक्ति से सम्पर्क किया गया तथा दूरभाष से वृद्धा एवं तेलगु भाषी व्यक्ति से बातचीत कराई गई एवं मुख्य जानकारी प्राप्त की गई। जिसके आधार पर वृद्धा का नाम श्रीमती राजम्मा पति मलय, निवासी सिरपुर, कागजनगरम, तेलंगाना राज्य ज्ञात हुआ। वृद्धा के बारे में यह जानकारी भी पता चली कि कागजनगरम में उसके किसी रिश्तेदार ने उसको जबरन रेल में बैठा कर वहाँ से भगा दिया था। प्राधिकरण द्वारा वृद्धा को उसके घर तेलंगाना राज्य पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिससे उसे पुनः आशा की नई किरण मिल गई।



सीड संस्था के समन्वय से दिनांक 06.01.2021 को प्रातः 10 बजे आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन प्रातः 11:40 बजे की ट्रेन से वृद्धा राजम्मा को उसे अपने घर कागजनगर, मलचरियाल, राज्य तेलंगाना पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हैदराबाद (तेलंगाना) पदस्थ न्यायिक अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वृद्धा के घर वापसी हेतु सहयोग एवं समन्वय के लिए चर्चा की गई और तत्काल सक्रियता के स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट एवं रेलवे चाईल्ड लाईन से समन्वय स्थापित कर वृद्धा राजम्मा को खण्डवा से ट्रेन द्वारा तेलंगाना राज्य भेजने हेतु एक टीम तैयार की गई। रेलवे चाईल्ड लाईन की दो मेंबर्स की टीम द्वारा वृद्धा राजम्मा को अपने संरक्षण में लेकर खण्डवा से तेलंगाना राज्य के कागजनगरम के लिए नियत समय पर रवाना हुए। तेलंगाना राज्य में आरपीएफ, स्थानीय प्रशासन की मदद से आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर राजम्मा को उसकी छोटी बहन लक्ष्मी के संरक्षण में उनके गांव गोलेटी, जिला असीफाबाद, तेलंगाना में सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं वृद्धा आश्रम के सहयोग से राजम्मा को पुनः उसके परिवार से मिलवाने का पुनीत कार्य किया गया।





Camps conducted in Old Age home



Reaching out to Jail Inmates including Yoga Camps

Mental health and legal awareness camps for jail inmates

The Corona Pandemic has been a particularly difficult period for jail inmates as they are unable to meet their family members and the movement of the jail visiting lawyers has also been restricted. Keeping in view the plight of the jail inmates, under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief, Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, a seven day Yoga, mental health and legal awareness camp was organized for all jails across the State of Madhya Pradesh. Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava inaugurated the first day session on 07.05.2021.



Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava inaugurated the camp for jail inmates

Similar camps were organized across all Central Jails. Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu, Chairman (HCLSC Gwalior) presided the opening session at Central Jails under Gwalior Division and such mental and physical health cum legal awareness camps are scheduled for the benefit of all prisoners across the jails in Madhya Pradesh over the next two months.



Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu addressing the jail inmates (Gwalior Division)

The valedictory session for the Jabalpur Zone was presided by Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan, Chairman (HCLSC Jabalpur) on 13.05.2021. In the said camp, women inmates of Central Jails, Jabalpur and Narsinghpur, inmates of District Jail, Chhindwara and Sub-Jail Amarvada, Baihar, Waraseoni, Lakhnadon and Sihora participated through online mode.



Address by Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan at the valedictory session



At Jabalpur Zone Shri Vedant Karmahe of Patanjali Vidyapeeth, Haridwar was the Yoga instructor while at Gwalior Shri Srikant Mishra rendered his good services.



Yoga Instructor Shri Vedant Karmahe imparting yoga to Jail Inmates

The programme concluded with the experience sharing by inmates of Central Jail Narsinghpur and Jabalpur. Similar Yoga cum legal awareness camps are also being organized by the MP SLSA in coordination with the jail authorities for the mental and physical well being of the prisoners. Through each camp not only was an endeavor made for the restoration of their health but they were also enlightened about their rights and various other grievances were also resolved in phased manner.

It is expected that through this small step in this global epidemic corona transition period, the immunity of prisoners will increase and they would be made aware of their rights and duties as responsible citizens.



Jail Inmates of Central Jail Jabalpur in online Yoga cum Legal Awareness Camp






Reviewing Functionality of Undertrial Prisoners Committee

Under the able guidance and directions of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief MPSLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority for the benefit of timely release of Under Trial Prisoners a State-wide consultation was convened on 06-05-2021 through virtual mode in coordination with CHRI and the Jail administration. The participants included the DG Prisons, all the District Judges and Secretaries of DLSA's, Registrar (District Establishment) High Court of Madhya Pradesh and all Superintendents of jails across the State of Madhya Pradesh.

This first consultation has been conducted State-wide with the intent and purpose of deliberations on implementation of the National Legal Services Authority (NALSA) New Delhi, SOP in letter and spirit. Commonwealth Human Rights Initiatives (CHRI) presented a demonstration on - EPIC (Evaluation of Prisoner Information & Cases) as a tool to facilitate preparation of lists of eligible prisoners and the custody warrant which is part of National Legal Services Authority, NALSA, SOP was unanimously identified as a suitable template to understand the entire background of the Under Trial and would be useful not only for the Trial Court but also the Jail Authorities.

With this first consultative meet, smaller regional/zonal meetings are on the anvil to focus on addressing the gaps and concerns in timely release of Under Trial Prisoners.





Action Taken for Jail Inmates in pursuance to Court Orders

In pursuance to the direction of Hon'ble The Supreme Court of India in Suo Moto Writ Petition (Civil) No.1/2020 "IN RE: Contagion of Covid-19 Virus in prisons" and in Writ Petition NO.9320/2021 "IN RE (Suo Moto) Vs The State of Madhya Pradesh and Others by Hon'ble High Court M.P. vide order dated 10.05.2021, High Power Committee meeting had been organized on 12.05.2021 at the Chairmanship of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, Madhya Pradesh Legal Services Authority, Jabalpur. In that meeting Shri Rajesh Kumar Rajoura, Additional Secretary, Home Satyendra Kumar Singh, Principal Secretary, Law and Legislative Affairs Department, Dr. Veena Sinha Additional Director, Dept. of Health, Shri Anvesh Manglam DG/Director, Prosecution, Shri Arvind Kumar Director General (Prison) and Ashok Shah Principal Secretary, WCD Department, Government. of Madhya Pradesh were present.

In the meeting of High Power Committee the issues for release of convicts confined in prisons on parole, under trial prisoners has been discussed and after detailed deliberation, instructions has been issued to all duty holders regarding taking appropriate steps for releasing of inmates in pursuance of Court order. It had also been directed in pursuance of Court order that bail application would be moved by Secretaries of respective District Legal Service Authorities through the legal aid counsel before the respective Juvenile Justice Board on behalf of children in conflicts with law. Apart from that instructions, general directions has also been issued to the Jail Authorities for providing proper medical facilities in surge of Covid-19.

In furtherance of above instructions, 4968 prisoners have been released on emergency parole and as per report of DG Prison out of 5776 Under Trial Prisoners 2612 have been released on interim bail. Again, meeting of High Power Committee had also been convened on 22.05.2021 for monitoring the compliance of earlier instructions.

Special Care for Prisoners-Dealing with HIV

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 22.03.2021 को म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रक समिति भोपाल के साथ ऑनलाईन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में निरुद्ध एच.आई.वी., टी.बी., हेपेटाइटिस से पीड़ित बंदियों की दवाईयां एवं विशेष आहार के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही एड्स पीड़ित बंदी जमानत पर जेल से बाहर जाते हैं एवं दोषमुक्त होने के पश्चात् अपने गृह जिले में वापस जाकर अस्पतालों से दवाईयां मुहर्इयां किस प्रकार की जायेगी, इस संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही ऐसे बंदियों को कार्ड भी जारी किये गये हैं ताकि वे



जेल से छूटने पर दवाईयां अस्पतालों से आसानी से प्राप्त कर सकें। जेल में प्रवेश नये बंदियों की एच.आई.वी. एवं टी.बी. स्क्रीनिंग शत प्रतिशत हो सके इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

राज्य प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से भी यदि ऐसे बीमार बंदियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायेंगे ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण तुरन्त किया जा सके। साथ ही समय-समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से टी.बी. एवं एड्स के प्रति बंदियों को जागरूक किया जा रहा है।

विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में केन्द्रीय जेल जबलपुर में दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 9:30 बजे विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना, रीवा, होशंगाबाद, सागर एवं नरसिंहपुर को शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इन जेलों में मेडिकल कॉलेज/स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी प्रकार दिनांक 26.03.2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला जेलों में तथा दिनांक 07.04.2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाली उप जेलों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।


उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन के साथ-साथ इन जेलों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित कैदियों के लिए नियुक्त पैरालीगल अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाकर उनके प्रकरण की यथास्थिति से बंदियों को अवगत कराया गया, इसके साथ ही बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में शिविरों के दौरान लगभग 33 बंदियों को विधिक सहायता एवं 1449 बंदियों को विधिक सलाह प्रदान की गई तथा 104 चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बंदियों में से 135 एच.आई.वी. पीड़ित, 17 कैंसर पीड़ित एवं 70 टी.बी. पीड़ितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त शिविर के दौरान कई बंदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। इस प्रकार कुल 4377 बंदियों (4062 पुरुष एवं 315 महिला) का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 54 बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में किया गया।



Online Training Program for the Prison Officials

Under the guidance of Hon'ble the Executive Chairman, MPSLSA conducted 2 days Online Training Program on 10th June 2021 for the Prison Officials of Madhya Pradesh Prisons on their issues in coordination with India Vision Foundation, DIG Central Jail Jabalpur.



The training program, held under the aegis of MP SLSA, is a unique and one of its kind collaborations between a State Legal Service Authority (here MP SLSA), Prison department (Madhya Pradesh Prisons & Correctional Services) and a non-government organization (India Vision Foundation).

India Vision Foundation, 27 years old, New Delhi based non-governmental organization and a pioneer of Prison reforms is founded by Dr. Kiran Bedi, shared the responsibility of training Prison Prahri's of seven Prisons of Madhya Pradesh viz. Jabalpur, Narsinghpur, Gwalior, Bhopal, Sagar, Rewa and Indore. Accordingly, 25 Prison Prahri's of Central jail Jabalpur and district jails of Mandala, Dindori and Katni, participated in the training program under the monitoring and supervision of the office of MP SLSA and Nodal Officer, training MP Prisons.

The aim of the training is to sensitize Prison Prahri's about the need of Reformation of Prison Inmates and their role in this process of Correction.





जेल की पाती

हम और हमारा पर्यावरण

इस कोरोना महामारी ने मनुष्य को यह अहसास कराया है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, बल्कि अनंत प्रणाली का सक्रिय घटक है। हमारा अस्तित्व और कल्याण प्रकृति के संचालन पर निर्भर है।

आज कोरोना महामारी जो इतना विकराल रूप लिये हुए है उसके लिए कहीं—न—कहीं मनुष्य जिम्मेदार है। अगर हमने वन, जल, मृदा आदि संसाधनों एवं प्रकृति के तत्वों का दुरुपयोग नहीं किया होता तो शायद आज कोरोना जैसी महामारी नहीं होती। अगर हम सोच लें कि हम अपने आस-पास 2 कि.मी. की दूरी में होने वाली कियार्थ सायकिल के माध्यम से करें तो इससे ईंधन की खपत कम होगी, मनुष्य स्वस्थ रहेगा एवं पर्यावरण प्रदूषण कम होगा।

अब समय आ गया है कि जब भी किसी वस्तु का उपयोग करना हो तब स्वयं से पूछना चाहिये कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं? कहीं इसके प्रयोग से पर्यावरण को हानी तो नहीं होगी? मानव समाज को पेड़ों से मिलने वाली स्वच्छ हवा और प्रकृति से मिलने वाले पानी और ऐसी अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अमूल्य सेवाओं की अहमियत का अहसास होना चाहिए।

गीता में एक बात कही गई है, “अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है।” उसी तथ्य में कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति (पर्यावरण) हमारी रक्षा करेगी।

आज मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से कुशलता से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कारखाने, बड़े-बड़े उद्योग हानिकारक रसायन दवाईयाँ इत्यादि ये सब मनुष्य की उपलब्धियाँ हैं, यह सब मनुष्य में अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन यह बात क्यों भूल गया जो आज कारखानों से निकला धुआँ, तरल जहरीला पदार्थ, कैमिकल पदार्थ ये सब भी मनुष्य के ही कारण हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे अनेक प्रदूषणों के कारण प्रकृति

पर बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो मनुष्य ने अपना काल स्वयं बनाया है। आज के इस दौर में जो हम कोरोना जैसी महामारी देख रहे हैं, वह सब हमारी गलतियों का दुष्परिणाम है। सही मायने में कहूँ तो “अपने घमंड के वशीभूत होकर हमने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।”

आज तो तूफान, भूकंप, सुनामी और भयानक कोरोना जैसी महामारी है यह सब हमारी करनी का ही फल है, लेकिन वक्त रहते हम समझ गये तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकेंगे।

आपदा को अवसर में बदलने का मौका— हम स्वीकारते हैं कि महामारी एवं प्रदूषण आदि को बढ़ावा देने में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमें अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर इस आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करना है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने आस-पास पेड़-पौधों का रोपण कर उनको सुरक्षित रखेंगे।

“आपदा ने हमको यह सिखलाया है।

प्रकृति की रक्षा करने का मार्ग दिखलाया है।

इस अच्छे संकल्प को हम भूल नहीं पाएँगे।?

लेते हैं संकल्प, हम पेड़ जरूर लगाएँगे।।”

जीवन के लिए पेड़ जरूरी हैं:— पेड़ों से ही जीवन चलता है। कोविड के इस दौर में लोगों को ऑक्सीजन को सख्त जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है और वह जैव-विविधता से ही संभव है। हमें समझना होगा कि पेड़ों से ही हमारा जीवन चलता है और आगे भी चलेगा।

बंदी

ऋषभ उर्फ शोरा शर्मा

बंधन क्या है?

इस सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास विकसित मन है। इसी मन के कारण वह बंधन की कल्पना करता है व इन बंधनों से छुटकारों की इच्छा करता है, प्रयत्न करता है एवं उपाय खोजता है। पशु-पक्षियों व वनस्पति आदि में न बंधन की कोई कल्पना है न वे मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनको कोई बंधन नहीं है, इसलिए मुक्ति की चाह नहीं है। वे मुक्त ही हैं, स्वतंत्र ही हैं, स्वच्छन्द ही हैं। वे अपने स्वभाव में जीते हैं। किन्तु मनुष्य के पास विकसित मन है जिसमें अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जिससे वह सब कुछ पाना चाहता है। सम्पूर्ण सृष्टि पर अपना अधिकार कर लेना चाहता है, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लेना चाहता है, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इसी कारण वह सृष्टि से स्वयं बंध जाता है, उसकी भोगवादी वासना एवं आधिपत्य बनाने की वासना के कारण ही वह दूसरों से स्वयं बंध जाता है। मनुष्य को दूसरा कोई बंधन नहीं है। उसकी वासना एवं भोगेच्छा ही उसका बंधन है। वासना चूँकि मन की उपज है इसलिए यह मन ही उसके बंधन का कारण है एवं मन की क्रियाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है जब यह विषयासक्त होता है तो बंधन है तथा निर्विषय होने पर यही मुक्ति का कारण बनता है।

बंदी:

श्री सुरेश कुमार/चन्द्रभान गोड़
जिला जेल पन्ना म.प्र.

वाणी पर संयम की सफल जीवन का आधार

सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण का उठाया जाना चाहिये। अपने विचारों, मान्यताओं और आस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिये और अभिमान का परित्याग करना चाहिये। जीभ सबके मुख में है और बोलते भी सभी हैं पर बोलना किसी को ही आ पाता है। वाणी का सही उपयोग कोई-कोई ही कर पाते हैं। विद्वानों ने ‘शब्द’ को ‘शिव’ और ‘वाणी’ को ‘शक्ति’ कहा है। इनका अनुग्रह जिस पर हो उसे अमृतत्व का उपभोग ही कहना चाहिए। शब्द—कंठ और जिह्वा का उच्चारण भर नहीं है, और न जीभ कैंची की तरह दिन भर चलाने एवं अनर्गल बकवास करने के लिये बनाई गई है। बल्कि इसमें अपार शक्ति का भण्डार भरा पड़ा है। यह उच्चारण अपने को तथा दूसरे को कितना प्रभावित करता है। इसका मर्म जो समझ लेते हैं वे एक-एक शब्द को माप-तौलकर बोलते हैं और अपनी निश्चलता एवं श्रद्धा का समावेश करके वाणी को इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

‘कागा काको धन हरे, कोयल काको देय,

मीठी वाणी बोलकर, जग बस में कर लेख।।

मीठी वाणी बोलकर सारे जग को वश में किया जा सकता है। दूसरों को अपना बनाया जा सकता है और लोगों के हृदय में स्थान पाया जा सकता है।

बंदी

घनश्याम रजक
जिला जेल पन्ना म.प्र.



लोकडाउन

थम न जाये सांसे हमारी,
इसलिये थम गयी दुनिया सारी.....
वाहन थम गये देखो सारे, और थमी रेलगाड़ी
मोटर गाड़ी थम गयी सबकी, और थमी विमान प्रणाली
थम न जाये सांसे.....
पिक्चर हॉल और शॉपिंग मॉल, बंद पड़ी सब दुनियादारी
ओलंपिक से प्लेऑफ तक, नहीं बन पायी क्रिकेट की पारी
थम न जाये सांसे.....

नहीं थमे हैं कदम हमारे, चाहे, कोई आये महामारी
हम ड्यूटी पर तत्पर रहते, नहीं हमने हिम्मत है हारी
थम न जाये सांसे.....
नहीं थमें हैं विचार हमारे, बोल पड़ी हैं "नीशू" की जुबानी
यहां वहां सब देख परख कर, लिख दी हमने कोरोना की कहानी।

नीशू कुर्मी प्रहरी
केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर (म.प्र.)

“ छत्तीसगढ़ी कोरोना गीत ”

कोरोना वायरस मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू
मैं भारत माता के बेटा और गा
कोरोना वायरस मार भगाहू
मोदी जी बोल दिये घर मा रहना
हे घर मा रहना हे पुलिस शासन
को साथ निभाना हैं। साथ निभाना हैं।
नियम नई हे ठिकाना कोरोना वायरस मार भगाहू।
मुँह मा गमछा ला बाँध के रखना
हे बाँध के रखना हे एक मिटर
दूरी में मिल जुल रहना हे मिल जुल
रहना हे नियम नई हे ठिकाना कोरोना

वायरस मार भगाहू गा
भारत देश को स्वर्ग बनाना हे स्वर्ग बनाना हे
महामारी से संगी सब ला बचाना हे सब ला बचाना हे
नियम नई हे ठिकाना कोरोना वायरस
मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू – 02 बार

विचाराधीन बंदी
कृष्णा पिता बुद्ध
सब जेल वारासिवनी

मेरी व्यथा

अगर ऐसी ही लिखी है किस्मत मेरी
चिंता नहीं जब तक है, कृपा तेरी।
अगर कृपा नहीं होती तो मर ही जाता
तेरे दर पर शायद कभी नहीं आता।
करना ही था तो कुछ ऐसा कर देते भगवान,
ना आता मैं जेल ना जाता मेरा सम्मान।

कुछ लोग कठिन वक्त मे भी ऐसा काम कर जाते है,
जेल मे रहकर भी दिलों में अपना मुकाम कर जाते है।
कुछ लोगों को कफन तक नसीब नहीं होते,
और कुछ मरकर भी गांधी की तरह नाम कर जाते है।

आज है ये बात मेरे मन के ख्वाबों में,
क्यों नहीं हम इन कुछ किताबों में।
कैसे किसी ने ऊंचा मुकाम पाया होगा,
कुछ तो हम भी होगा जो आज तक सामने ना आया होगा।
एक दिन हम भी होंगे इन किताबों में,
और ये बात सच होगी, ना होगी सिर्फ ख्वाबों में।

क्यों यहा कोई आम कोई खास है,
कब इन खास लोगो में भी हमारा नाम होगा।
मंजिल मिल ही जायेगी भटकते ही सही,
गुमराह तो वो है, जो घर से निकले ही नहीं।

विचाराधीन बंदी
हनीफ पिता साकिन असारि
जिला जेल सिवनी



जेल की पाती

बैठकर जंगल की आड़ में,
मौसम का मजा ले रहा था
ना चाहते हुए भी मैं
धूल भरी हवा ले रहा था।
मेरे करमों ने मुझे जो,
सजा दी उसका गम न था।
अब तो ये बारिस का,
मौसम भी मुझे सजा दे रहा था।
किसको थी खबर, किसको था पता
कि मैं यहाँ क्या झेल रहा था।
जेल में मुझे वैसे ही सुकून न था,
और बाहर कोरोना फैल रहा था
मुझे फिर अपनी न थी,
चिंता परिवार की सता रही थी

क्योंकि कोरोना के साथ अब,
फंगस जैसी बीमारी भी आ रही थी
दूर दराज रहना पड़ेगा परिवार से,
शायद यही अब मेरी जिंदगी है।
ऐ खुदा मेरा परिवार सदा खुश रहे
बस इतनी सी मेरी बंदिगी है।
जरूरी नहीं पास रहकर
ही कोई साथ देता है।
आखिरकार सूरज भी कोशों दूर रहकर
सबको प्रकाश देता है।

बंदी— नितेश
पिता रजित राम कुशवाहा

मन का साहस अनंत

मनका—मनका है फेर रे मनवा काहे दुखी होय
आम लगाए आम पाए, बबुल लगाये चँहु ओर
काँटे होये
कटु वचन और कर्म, सदा दुःख दायी
मृदु वचन से सुख उपजत चहूँ ओर
मन तो मालिक होता है तन का
तन तो गुलाम होता है मन का
तन तो चंचल हवा का झोका होता है,
जब चाहे जहाँ चाहे चला जाता है,
तन तो चार दिवारी में बाँध सकता है इंसान
मन को बाँध सके नहीं कोई स्थान
मन में आशाओं के दीप जलाए रखना
विश्वास को सदा बनाये रखना
अंधियारा मिट जायेगा जब सूरज आयेगा

हर गम मिट जायेगा जब सावन आयेगा
साँझ ढले अंधियारा आये, दिन निकले उजियारा
अधि आये करकट ले जाएँ, फिर शीतल झोंका जाए
मंद मंद हवा बहे, फिर सौवन आये रे
मन का मेल मिटाओ, सद विचार और
सादा जीवन अपनाओं हमेशा हमेशा के लिए
सभी समस्याओं से मुक्ती पाओ

बंदी पूनमचंद
पिता मन्नालाल
केन्द्रीय जेल सतना (म.प्र.)

“ समर्पित रहो ”

तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये।
दीप बनकर जलो, हर घरों के लिये।।
कोई भूखा न हो, कोई प्यासा न हो।
रोटियों के लिये, अब तमाशा न हो।।
ताज बनकर रहो, हर सिरों के लिये।
तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये। (1)
कोई रोये नहीं, कोई खोये नहीं।
अपने मात पिता को कोई खोये नहीं।।
सर में ऑचल रहे, हर सभी के लिये।
तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये। (2)

कोई बेघर न हो, कोई रोये नहीं।
फुटपाथों पर कोई सोये नहीं।।
आशियाना मिले हर बेघरों के लिये।
तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये। (3)
स्वर की गंगा का जलधार बनकर रहे।
जो जहाँ भी रहे, बस अमन से रहे।
थोड़ा प्रसाद अवसरों के लिये।
तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये। (4)

गीत ऐसे लिखे स्वर सांघे बन्द हों।
भावनाओं में करुणा बांधे छन्द हों।
व्याकरण भी रहे, अक्षरों के लिये।
तुम समर्पित रहो, दूसरों के लिये। (5)

दण्डित महिला बंदिनी
रेनू जैसवाल
केन्द्रीय जेल सतना (म.प्र.)

“ बंदिनी का पश्चाताप ”

मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है,
जो मेरे जीवन के लिये बहुत कुछ दे गया है। जीवन
अच्छे कर्मों के लिये ही मिलता है। इंसान से एक बार
जाने अनजाने से जो गलती होती है अगर उसकी
सजा न मिले तो हम कैसे समझेंगे कि हमने गलती
की है या नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिये ही
होता है। ये जेल नहीं है ये तो सुधार गृह है यदि
जीवन में जो मुश्किलें आये तो हमें घबराना नहीं
चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। जेल में हमें
बहुत कुछ सीखने को मिलता है यदि हम चाहें तो
अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं।

सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम है।
और सबको अलग करने की ताकत बहम है।।

कोई दूटे तो उसे सजाना सीखो।
कोई रुठे तो उसे मनाना सीखो।।

रिस्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से।
बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो।।

दण्डित महिला बंदिनी
अनीता वंशकार
केन्द्रीय जेल सतना (म.प्र.)



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल के सभी बैरको, महिला सेल का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा जेल में बंदियों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं, आहार, चिकित्सा, विधिक सहायता इत्यादि के संबंध में निरीक्षण किया, साथ ही जेल में महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों हेतु प्ले स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर बंदियों को प्ली बारगेनिंग, जमानतों के कानून, बंदियों के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा बंदियों की समस्या सुनकर उनका समाधान करने के उद्देश्य से जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।



DLSA Gwalior

DLSA Gwalior organized legal awareness camp at Central Jail Gwalior on 30/01/2021 focussing on menstrual hygiene for women inmates in coordination with Commonwealth Human Rights Initiative. A sign board was also installed in the women prison campus on initiatives that can be taken along with spreading awareness of the Rights of Inmates to free legal aid, advice and a healthy environment.




Spreading awareness through banners



Principal Magistrate JJB with women inmates

Glimpses of Awareness Camps & Inspection in the Jails





LEGAL AID CLINIC

The object behind establishment of "Legal services clinic" is to provide basic legal services to the People with the assistance of para-legal-volunteers or lawyer's, as the point of first contact for help and advice. For fulfillment the purpose of the scheme 1304 Legal Aid Clinic have been established across the state for a cluster of villages, jails, educational institutions, community centres, protection homes, Courts, juvenile justice boards and other areas, especially where the people face geographical, social and other barriers for access to the legal services.

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JABALPUR							
REPORT OF THE LEGAL SERVICES CLINICS							
Colleges/ Universities	Villages	Community Centres	Courts	jails	JJB	Others (pl. specify) (Hospital, Collectorate, CWC, OSC, Police Station, Tribunal, Janpad Panchayat, Women Help Desk)	Total
98	404	168	60	122	48	302	1202

*Law is three step ladder, Learning
the law is the 1st step, knowing the
law is a progress, while practicing the
Law is an act of philanthropism, as the
Law is an instrument of Social Engineering.*

- Njoku Fortunatus



Commencement of Legal Aid Clinic

29th June 2021 was a landmark day for the Sarojni Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal as it heralded the commencement of Legal Aid Clinic inaugurated with release of pamphlets and brochures through online mode by Hon'ble Smt. Justice Nandita Dubey, Judge, MP High Court.

The M.P. State Legal Services Authority works under the guidance of Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Patron-in-Chief and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava is the Executive Chairman. In the presidential address the Chief Guest Hon'ble Ms. Justice Nandita Dubey expressed her confidence that in coordination with the Legal Services Authority, it was expected that the college will successfully groom the students into responsible citizens.

The Principal of the College Dr. Pratibha Singh expressed that this step shall be a turning point for the students to familiarize with the legal system and effectively reach out to needy people for rights and remedies. In the introductory address the Members Secretary Giribala Singh apprised that the Legal Aid Clinic would serve as a student friendly platform to help marginalized sections in coordination with the District Legal Services Authority. Shri SPS Bundela Secretary DLSA gave the welcome address and the vote of thanks was rendered by Dr. Manisha Sharma, Professor Sociology & Coordinator Legal Aid Clinic. The programme concluded with the rendition of the National Anthem.

Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officers, students and faculty were also present in the inauguration program.

Legal Aid clinics under the aegis of the Legal Services Authorities have the sacrosanct duty to facilitate accessibility to justice. This Clinic will be run by students for students under supervision of Senior Faculty Members and in coordination with the District Legal Services Authority, Bhopal. The purpose of this Centre is to nurture an attitude of compassion and service among students.

With the inauguration of this Legal Services Clinic on the college campus, students of the college will play a vital role in coordination with the District Legal Services Authority Bhopal and facilitate the needs of marginalized sections of society apart.





MEDIATION

मीडिएशन के लिए मामले रेफर करेगा पुलिस महिला हेल्प डेस्क

माननीय मुख्य न्यायाधीपति महोदय, म०प्र० उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधीपति, म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देश में म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा ऊर्जा हेल्प डेस्क को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किये जाने हेतु दिनांक 09 से 11 जून 2021 तक तीन दिवसीय ऑन लाइन मीडिएशन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला हेल्प डेस्क तथा डायल 100 पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्राप्त शिकायतों व विवादों को कम्युनिटी मीडिएशन वालेंटियर द्वारा मीडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से न्यायोचित निराकरण के उद्देश्य से म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जिलों के महिला हेल्प डेस्क प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित ही एक सराहनीय पहल होगी जिससे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का उद्देश्य भी सार्थक होगा। पुलिस महिला हेल्प डेस्क पर विवाद आने की स्थिति में मीडिएशन योग्य मामलों को कम्युनिटी मीडिएशन वालेंटियर को रेफर किया जाएगा। इसी संदर्भ में मीडिएशन प्रक्रिया के मूलभूत प्रावधानों से अवगत कराने के लिये यह ऑन लाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला अपराध शाखा के समन्वय के परिणामस्वरूप यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नारी सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।



Online Dispute Resolution Programmes (Community Mediation Training Programme)

The M.P. Community Mediation Programme approved by Hon'ble the Executive Chairman and Main Mediation Monitoring Committee is a flagship programme of MPSLSA. In the period from March 2020 to March 2021, 12 Communities have been trained including Nema, Gond, Jain, Kayasth, Yadav, Katia, Pasi, Muslim, Meena, Kshatriya, Bengali & Brahmin while and 28 Community Mediation Clinics have been set up at the grass root level. The course curriculum has been broad spectrum to include topics ranging from intricacies of mediation, body language, negotiation, impasse, psychology of conflict and its changing sociological dimensions.

It has been approved that the community mediation volunteers can also be considered for rendering assistance in the smooth functioning of gram nyayalayas to serve the purpose of resolution of disputes through ADR, in accordance with Section 27 of the Gram Nyayalaya Act r/w Rule 11 of the Rules 2013. It is expected that with this step there shall be a paradigm shift in the working of Gram Nyayalayas from adjudicatory mode to conciliatory mode.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-03-28 | Page-1
ehitavada.com

MPSLSA holds online mediation programme for Brahmin Samaj

Legal correspondent

ONLINE Community Mediation Programme was taken up for 20 hours under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA) with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Brahmin Samaj from 7 districts, including Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria, Shahdol and Rajgarh, which concluded on Saturday.



Senior office-bearers of MPSLSA during the mediation programme.

Mediation is a very important alternate dispute resolution mechanism which was earlier confined to the offices of the legal service institutions which will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby

settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at a proper formula. The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training (Contd on page 2)





Glimpses of Mediation Awareness Programme



Lok Adalat Programmes

Preparation for the National Lok Adalat

Online meeting organized under the chairmanship of Hon'ble Executive Chairman for monitoring of National Lok Adalat and other subjects.

In preparations for the National Lok Adalat online meeting have been extensively organized to motivate the dutyholders at the government level apart from addressing all the Chairpersons and the Secretaries of the DLSAs.

Officers from the government included ACS and Principal Secretaries of Home, Health Department, Finance Department, General Administration Department, Women and Child Development Department, Law and Legislative Affairs, Energy Department, Labor Department, Revenue Department, Transport Department, Cooperative Department, Urban Development Department, Panchayat Rural Development Department, Director General Prisons, Director Public Prosecution.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-06-23 | Page- 4
ehitavada.com

MPLSA holds online meet to monitor National Lok Adalat

■ Staff Reporter

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPLSA) has on Tuesday organised an online meeting under the guidance of Chief Justice and Patron-in-Chief, Justice Mohammad Rafiq and Justice Prakash Shrivastava Executive Chairman, MPLSA for monitoring of National Lok Adalat and other allied subjects.

During the meeting, necessary directions were given by the Executive Chairman regarding successful organization and disposal of maximum number of

compoundable cases) etc. will be taken up.

In National Lok Adalat the parties will be able to resolve their disputes amicably through mutual consent. The National Lok Adalat will be organized at High Court, District Courts/Taluka Courts, Labour Courts, Family Courts.

Apart from that, directions were also given for conducting blood donation camp on June 26, detailed instructions regarding training programmes of panel advocates and PLVs, taking effective steps for speedy filing of appeals for prisoners, early disposal of cases of children residing in Observation Homes, timely feeding of information on SA portal etc.

During the meeting, Member Secretary Giribala Singh, Additional Secretary Manoj Kumar Singh, Deputy Secretary Prakash Shrivastava, Legal Aid Officers Zeeshan Khan, Jitendra Mohan Dhurve were present.





Pre-sitting for the National Lok Adalat (10.07.21)



Celebration of "Bharat ka Amrut Mahotsav"

भारत सरकार द्वारा आयोजित "भारत का अमृत महोत्सव" कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस दिनांक 12.03.2021 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य के 18 आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मण्डलेश्वर, रीवा, सिवनी, शहडोल, श्यापुर, शिवपुरी एवं उमरिया में आदिवासी समुदाय को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता एवं सलाह भी प्रदान की गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा उक्त शिविर आयोजन में आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये। उक्त शुभारंभ के पश्चात् भी कोरोना महामारी के दौरान आदिवासी बाहुल्य जिलों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से शिविर आयोजित किये गये, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता की जानकारी एवं सलाह भी प्रदान की गई।

शिविर आयोजन संबंधी कुल जिलों की संख्या	आयोजित कुल शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
22	28	2243





भारत का अमृत महोत्सव



Training and Webinar

Trained Community Mediation Volunteers of Mpslsa To Extend Services For Dial 100

In a unique initiative, the M.P. State Legal Services Authority coordinated with the Urja Mahila Help Desks under the Crime Against Women Cell for redressal of grievances received under Dial-100.

The Community Mediation Volunteers trained by M.P. State Legal Services Authority are spread across 36 districts of Madhya Pradesh. The said volunteers would be in a position to not only facilitate online counseling and pre-litigation mediation. Further, in the event that the matters remain unsettled, the information exchanged in the course of the deliberations could be kept confidential under confidentiality ethics of mediation. In addition, if the matters were not settled the team of Para Legal Volunteers/Panel Advocates affiliated to our DLSAs could render assistance to help needy people to register their grievances.

This step is particularly relevant in the Covid era where people find it difficult to either visit the court or to file a complaint at the police station.

In that respect, short training programmes with vertical interaction from the Police and District Legal Services Authority of the concerned district has been organized on 25.05.2021 and with this small step but relevant step it will be possible to secure accessibility to justice through online modes to needy people even through online mode.

ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का प्रशिक्षण

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 700 पुलिस थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू दिया गया। प्रशिक्षण के जरिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क और डायल-100 में आने वाली महिला अपराध संबंधी शिकायतों के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पक्षकारों की काउंसलिंग एवं उभय पक्षों के मध्य मीडिएशन के बारे में भी बताया गया। पी-2





Spreading Awareness on Rights of the Girl Child & Duties of Society Towards Securing Safety & Justice to Women



A Campaign for the rights of women on the occasion of National Girls Child Day was held on 24th January 2021, under the aegis of Crime Against Women Cell, Police Headquarters on the theme "Who is the real hero?" which was addressed by the Member-Secretary on "Need for safe society for women being essential is a need for men or for society at large, on the mindset & repercussions to persons who perpetuate offences against women."

The webinar was telecast live on YouTube via link:

(<https://youtu.be/ewjsCshHtIY>)

Addressing The Special Juvenile Police Units, Sensitization On Child Rights, Their Duties Towards Children And Effective Steps For Coordination With Other Duty Holders



Member-Secretary addressing SJPU's



Participants at the said Conference

एसिड अटैक पर ऑनलाइन परिचर्चा

राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर एसिड अटैक— एक गंभीर अपराध — निवारण, प्रतिषेध समाधान विषय पर दिनांक 11.05.2021 को ऑनलाइन परिचर्चा संपन्न हुई, जिसमें नालसा के निर्देशक सहित म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उक्त कार्यक्रम के आलोक में म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों से सचिव तथा पैनल अधिवक्ताओं को सम्मिलित करते हुए ऑनलाइन बैठक की गई। एसिड अटैक प्रकरणों के संबंध में कार्य हेतु प्रत्येक जिले से पैनल अधिवक्ताओं के नाम का प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। ऑनलाइन बैठक में एसिड अटैक मामलों में अधिक संवेदनशील होकर समयावधि में पीड़ित प्रतिकर तथा अन्य अनुतोष प्रदाय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि एसिड अटैक पीड़ितों के पुर्नवास के लिए कम से कम 03 वर्ष के लिए समीक्षा अवधि रखी जायेगी।





उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर द्वारा दिनांक 27th 06th 2021 को हैप्पीनेस एवं अवेयरनेस मिशन क्लब के सहयोग से कोविड.19 महामारी से बचाव, सुरक्षा एवं आवश्यक चिकित्सीय परामर्श के लिये चिकित्सकों के साथ ऑनलाईन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता शिविर का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उक्त ऑनलाईन जागरूकता शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, ट्रॉमा सेंटर प्रभारी, शिशुरोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ ने सम्मिलित होकर परामर्श दिया गया।



कोरोना काल में डॉक्टरों ने निभाई अपनी जिम्मेदारी: जस्टिस श्रीवास्तव

श्रीराम एक्सप्रेस, जालंधर

कोरोना से बचने के लिये सावधानी और सकारात्मकता दोनों जरूरी हैं। अगर हम सब कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सकारात्मक सोच की बड़ी लहर बनाएं तो कोरोना की तीसरी लहर टल जाएगी। ये बात माननीय न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने ऑनलाइन आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पद जितना बढ़ रहा है, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई।

स्वयं ही यदि आईसीयू या कोविड सेंटर जहां मरीज परिजनों नहीं जा पाते वहां ऐसी केमरा तकनीक व्यवस्था होनी चाहिए कि परिजन अपने मरीज को देख सकें व उनके संपर्क में रह सकें। वेबिनार का आयोजन उच्च न्यायालय विधिक सेवा



समिति व हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब की ओर से किया गया। इसमें सभी डॉक्टरों ने अपील

कोरोना से बचने के लिये सावधानी और सकारात्मकता जरूरी: जस्टिस श्रीवास्तव



● आचरण संवाददाता

ग्वालियर। कोरोना से बचने के लिये सावधानी और सकारात्मकता दोनों जरूरी हैं। अगर हम सब कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सकारात्मक सोच की बड़ी लहर बनाएं तो कोरोना की तीसरी लहर टल जाएगी। ये बात न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने ऑनलाइन आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पद जितना बढ़ रहा है, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। साथ ही यदि आईसीयू या कोविड सेंटर जहां मरीज परिजनों नहीं जा पाते वहां ऐसी केमरा तकनीक व्यवस्था होनी चाहिए कि परिजन अपने मरीज को देख सकें व उनके संपर्क में रह सकें। वेबिनार का आयोजन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब की ओर से किया गया। इसमें सभी

डॉक्टरों ने अपील करते हुए कहा कि अगर हम सावधानी रखेंगे तो तीसरी लहर हमें बहुत कम प्रभावित कर पाएगी। इसलिए मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथ सैनेटाइज करते रहें। शिविर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विमल प्रकाश सुक्ला, ओएसडी हितेंद्र द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रीता मिश्रा, न्यूरोसर्जन रोग विशेषज्ञ डॉ. अविनाश शर्मा, ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. सुनील अग्रवाल, मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डॉ. अजयपाल सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि अम्बे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव कवि भागवत ने चिकित्सा जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्ण सिंह व विधिक सहायता अधिकारी बृजेंद्र सिंह भट्टारिया ने आभार प्रकट किया। अधिवक्ता आरके जोशी कार्यक्रम को प्रस्तावना पढ़ी। कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट व सवाल-जवाब हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब के अध्यक्ष अंशुमान शर्मा ने किये।

Training provided by DLSAs





बृहद विधिक साक्षरता शिविर

**म.प्र. सन्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. सन्य विधिक सेवा प्राधिकरण
के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2021 को जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उ.प्र. एवं म.प्र. के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप समाज के कमजोर, निर्धन, 3 साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।



शिविर में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्त विभागों द्वारा लगभग 50 स्टॉल लगाये गये, जिनमें शासन के वॉलेंटियर एवं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पी.एल. व्ही. की टीम ने उपस्थित व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा पात्र व्यक्तियों के फार्म भरवाये गये। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, स्टिक प्रदान किये गये।

इस शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं शासन की अन्य योजनांतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर लगभग 3000 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया।

दिनांक 20.03.2021 की पूर्व संध्या पर चित्रकूट में प्रवाहित जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के संरक्षण को लेकर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर मंदाकिनी के बढ़ते प्रदूषण, उसके संवर्धन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई, उनसे सुझाव साझा किये गये। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा रामघाट का निरीक्षण किया गया।



उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाये जाने एवं मंदाकिनी के प्रदूषण, उसके संवर्धन के लिये समय सीमा निर्धारित करने एवं आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। स्थानीय प्रशासन से उपस्थित अधिकारीगण को भी भौतिक रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण कराकर समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके फलस्वरूप स्थानीय प्रशासन ने शीघ्रातिशीघ्र उन समस्याओं को निराकृत करना सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मंदाकिनी नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु रामघाट और उसके आस पास रहने वाले स्थानीय लोगों को जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के बहाव को निरंतर बनाये रखने के लिये उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया।



मंदाकिनी नदी के संरक्षण में उत्तरी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा, तहसील विधिक सेवा समिति सिरमौर एवं जिला प्रशासन रीवा के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 30 जनवरी 2021 को ग्राम शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के शासकीय विद्यालय में नालसा माड्यूल पर विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की प्रारंभ बालिका पूजन से किया गया एवं बच्चों के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जागरूकता के संबंध में एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, बच्चों के द्वारा गायन व अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। शिविर में ग्राम शाहपुर की उपस्थित आम जनता को नालसा-सालसा की योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य विधियों एवं शासन की हितग्राहियों मूलक योजनाओं के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गयी।

शिविर में अध्यक्ष जिला प्राधिकरण द्वारा नालसा, राज्य प्राधिकरण की योजनाओं, पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त शिविर में शासन की योजनाओं के अंतर्गत एवं नालसा की योजनाओं के तहत 5446 हितग्राही लाभान्वित हुए।





बरमान मेला, नरसिंहपुर में हेल्प डेस्क व विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा मॉ नर्मदा के प्राचीन तट बरमान में आयोजित किए गए 15 दिवसीय (दिनांक 15.01.2021 से 30.01.2021) बरमान मेले में नालसा, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। मेला आयोजन स्थल पर योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रमों आयोजन किया गया एवं जल एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु श्रद्धालुओं के सहयोग से जनजागरूकता एवं संकल्प रैली का आयोजन किया गया। आयोजित शिविरों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1461 हितग्राही लाभान्वित हुए। शिविर में स्थापित स्थापित हेल्प डेस्क/लीगल एड क्लीनिक द्वारा 132 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये जिन्हें संबंधित विभाग को 15 दिवस के भीतर निराकरण करने हेतु प्रेषित किये गये। हेल्प डेस्क के माध्यम से 208 व्यक्तियों को विधिक सलाह प्रदान की गई। जनपद पंचायत चावरपाठा जिला नरसिंहपुर से संबंधित प्राप्त समस्त 20 प्रकरण कार्यपालन अधिकारी चावरपाठा द्वारा मेला स्थल पर राशि स्वीकृत की जाकर निराकृत किये गये, जिसमें कुल राशि 19,81,600/- संबंधितों को स्वीकृत की गई।



स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा लोकगीतों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश



वरिष्ठ नागरिक/श्रद्धालुजन के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम



बरमान मेले में स्वच्छता अभियान का समापन

दिव्यांगता से सचलता की ओर

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित किये गये 05 दिवसीय विशेष वृहद मेडिकल शिविर से प्रेरित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झिंझरी जिला कटनी में दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 06.02.2021 से दिनांक 11.02.2021 तक 06 दिवसीय विशेष पंजीयन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर हेतु कटनी जिले के दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित एवं पहचान किए जाने के संबंध में प्रशासन एवं रेडकास संस्था के सहयोग से व्यापक प्रयास किया गया।



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के प्रयास से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में महावीर संस्थान जयपुर द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु स्थाई केन्द्र की स्थापना की गई है। अतः उपरोक्त शिविर के पश्चात् भी जिन दिव्यांगजनों का पंजीयन नहीं हो पाया है, वे सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की हेल्प लाइन नं. 15100 से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराते हुए लाभ उठा सकते हैं। शिविर में सम्मिलित होने वाले छात्रों एवं आम नागरिकों को उनकी समस्या अनुसार अलग-अलग पंक्तियों में बिठाया गया, तत्पश्चात् अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक बाधित, श्रवण बाधित व्यक्तियों के नाम दर्ज कर उनको लगाये जाने वाले कृत्रिम अंगों की माप की गयी।

चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में उपस्थित छात्रों एवं आम नागरिकों का विवरण

क्र.	दिव्यांगता का प्रकार	चिन्हित छात्रों की संख्या	चिन्हित आम नागरिकों की संख्या	कुल
1.	दृष्टि बाधित	348	254	602
2.	श्रवण बाधित	347	125	472
3.	मानसिक बाधित	455	201	656
4.	अस्थि बाधित	547	689	1236
	कुल महायोग	1697	1269	2966



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा 'दिव्यांगता से सचलता की ओर एक अभियान' के अंतर्गत श्री दुर्गेश बौरासी रतलाम को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति, जयपुर से बायां हाथ (कृत्रिम अंग) लगवाया गया। श्री दुर्गेश का एक दुर्घटना में बायां हाथ कुहनी तक कट गया था। पूर्व में भी श्री दुर्गेश द्वारा कृत्रिम हाथ लगवाया गया था, किंतु वह बहुत भारी था और जल्द ही टूट गया था। बायां हाथ न होने से श्री दुर्गेश को काम करने में परेशानी आ रही थी। श्री दुर्गेश द्वारा पीएलव्ही के माध्यम से कार्यालय में संपर्क किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा कोरोना काल से ही कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उस समय ज्यादा ट्रेनें संचालित न होने और रतलाम से जयपुर की दूरी जबलपुर स्थित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र से कम होने के कारण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया गया। बायां हाथ लग जाने से अब श्री दुर्गेश अत्यंत खुश है और सामान्य जीवन जीने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है, अब दुर्गेश स्वरोजगार प्राप्त कर अपना सुखद जीवन-यापन कर सकता है।



Before



After

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट के उद्घोषक वाहन की मदद से बालाघाट शहर में दिव्यांगजन के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एवं उन्हें बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदाय किये जाने के संबंध में शिविर आयोजन की सूचना प्रसारित की गई। जिसके फलस्वरूप वारासिवनी, कटंगी, परसवाड़ा एवं बैहर में शिविर लगाया गया। तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी, कटंगी तथा बैहर के सहयोग से लगाये गये शिविरों के माध्यम से मोटोराइज्ड ट्रायसाइकिल प्रदाय करने हेतु 241 दिव्यांगजन चिन्हित किये गये हैं।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के सहयोग से दिनांक 16.03.2021 को जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र मुरैना में दिव्यांगजन के कल्याण हेतु लाभदायक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक दिव्यांग, अस्थि बाधित कुल 40 लाभार्थियों को चिन्हित कर छडिया, कान की मशीन, व्हीलचेयर, ट्राय सायकल वितरण की गई, इसके अतिरिक्त 5 दिव्यांगजन को बस किराये में 50 प्रतिशत की रियायत हेतु पास का वितरण भी किया गया।





Special Activity

एक अनूठी पहल - थर्ड जेंडर को मिली पहचान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 08.02.2021 को थर्ड जेंडर के कल्याण हेतु कार्यालय जिला प्राधिकरण में एक बैठक सह शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। उनके द्वारा आधार कार्ड एवं पहचान पत्र संबंधी समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा थर्ड जेण्डर के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा मतदाता कार्ड बनाने हेतु जिला प्राधिकरण पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया गया। उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम के सार्थक प्रयास से थर्ड जेण्डर के आधार कार्ड बने एवं आधार कार्ड बन जाने के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के पहचान पत्र प्रमाणित कर जारी किये गये। वर्तमान में रतलाम जिले से 03 थर्ड जेंडरों के आधार कार्ड बन चुके हैं शेष थर्ड जेण्डर के आधार कार्ड बनाये जाने हेतु प्रक्रिया जारी है। संपूर्ण जिले में कुल 09 थर्ड जेंडर के पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में संबंधित 03 थर्ड जेंडर्स को उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा वितरित किये गये।

इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की पहल से थर्ड जेण्डर को उनके पहचान पत्र जारी हुये। जिससे उन्हें एक सकारात्मक पहचान और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा।



Awareness Programmes by DLSAs

DLSA INDORE

A Legal awareness programme organized by DLSA Indore at Bairwa Samaj Dharmshala, Nehru Nagar, Indore in coordination with Police Department, Women & child development department and NGOs. Secretary DLSA apprised to audience regarding the provisions of POCSO Act, Domestic Violence & Victim compensation scheme.



DLSA DINDORI

DLSA DINDORI Coming down to a hinterland Village called Bamhani on a local market day after trudging labyrinthine ways, a legal aid and literacy camp was organised in the center of village inhabited mostly by tribal people on the core issues of human trafficking, commercial Sexual Exploitation, protection and enforcement of tribal rights. The gullible and naive people of this and surrounding villages have fallen prey on several occasions to unscrupulous predators i.e. traffickers who decoy these guileless people. In the camp people were made aware of prevalence of such practices, Modus operandi of traffickers, proneness of villagers on the basis of some real cases based facts. They were advised to take precautions and circumspection when going to distant places looking for job with the help of someone. They were also made literate about importance of education, repercussion of alcoholism which is wide spread here and their rights. They were specially sensitised towards girls going far places.





Glimpses of Legal Awareness Programme By DLSAs



Legal Services to Labour under NALSA Scheme

ONLINE WEBINAR-CUM-TRAINING WORKSHOP FOR PLVS WORKING AT CRIME AGAINST LABOUR CELL

TheHitivada
FIRST COLUMN
CJ takes initiative for unorganised sector labourers
Legal Correspondent

पीएलवी को दी गई श्रमिकों के विधिक अधिकारों की जानकारी


वर्षाई संवाददाता, उज्जैन। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था द्वारा विधिक सहायता प्रकोष्ठ में कार्यरत पैरालीगल वॉलेंटियर्स (पीएलवी) के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीएलवी को बताया गया कि श्रमिकों को उनके विधिक अधिकार और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाए। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिवाला सिंह ने बताया कि कार्यशाला में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर के पैरालीगल वॉलेंटियर्स को श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यशाला में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की शंकाओं का समाधान इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की ओर से सुश्री अकुमला ने किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह, उपसचिव अरविंद श्रवास्तव और विधिक सहायता अधिकारी जितेंद्र मोहन धुर्वे मौजूद थे। पी-2

Under the able guidance and directions of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief MP SLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority held a joint webinar in coordination with International Justice Mission, New Delhi which is noteworthy that Crime Against Labour Cell (C ALC) for labourers have been set up in coordination with the Labour Department in Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur and Gwalior.

Nominated PLVs have been specially trained on how to help labourers to access benefits of the government schemes. During the two day seminar-cum-training various questions regarding applicability of wages to agricultural labour and the disparity in wages given to women employees was also effectively

redressed. The good practices shared by some of the legal assistance cells were also shared.

It is expected that with this training the Legal Services would be able to effectively provide assistance to labourers in the unorganized sector.





Reviving Litigation Free Village Scheme 2000

The Litigation Free Village Scheme 2000 of Madhya Pradesh is now being reinvigorated and on 17.10.2020, 05 villages were inaugurated by the Hon'ble Chief Justice of India through online mode.

Through fruitful action in this direction, presently 180 village have been identified as Litigation Free across the State of Madhya Pradesh and in each of such villages, a Seva Dal has been constituted who will be responsible for effective amicable resolutions at the inception. The concerned DLSA has the responsibility of monitoring of each scheme while the SLSA issue the policy guidelines and monitoring at the State level. The villages so identified will now have legal aid clinic which will serve as hub for extending similar facilities to around 40 surrounding villages. It will be manned by 2 PLVs who will work in coordination with the Seva Dal. Dr. R.K. Paliwal, IRS (Ex. Principal Chief Commissioner Income Tax, Madhya Pradesh & Chhattisgarh) who is presently working in field of developing of Aadarsh Gram, renders his keen interest for holistic development of rural communities, the District Administration has also reached out to enhance the existing facilities in the villages so that Gandhian ideal of Swaraj becomes a reality. Webinars and meetings have been organized at regular intervals to pursue the Scheme.



आजोक्त
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला वैतुल

संयोजक
ग्राम सेवा समिति

सह आयोजक
राजस्थान सेवा समिति, वैतुल

एक अभियान
कोरोना मुक्त गांव, कोरोना मुक्त भारत


zoom LIVE

दिनांक - 8 जून 2021 समय - दोप. 12 बजे से

Meeting ID - 79031178418
Passcode : 6p3c9q

शुभम कपूर
डीएसए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतुल

विशेष सहयोग - एन.एस.एस. कार्यक्रम, कोरोनामुक्त भारत आयुष्य डीवटल टीम वैतुल, नमन सेवा समिति वैतुल



विवाद विहीन ग्राम योजना के मुख्य बिंदु

विवाद विहीन ग्राम क्या है ?

- ❖ ऐसा ग्राम जहाँ कोई विवाद न हो।
- ❖ विवाद उत्पन्न होने पर – सामंजस्यपूर्ण निपटारा।
- ❖ विवाद न्यायालय में होने पर—मध्यस्थता या लोक अदालत से निपटारा।

स्वयंसेवी सेवादल का गठन व दायित्व

- ❖ स्थानीय शासकीय पदेन सदस्यों के अतिरिक्त चयनित दो स्थानीय प्रतिष्ठित, निष्पक्ष व समाजसेवी प्रतिनिधि होंगे। चयनित प्रतिनिधि पैरालीगल वालेन्टियर (पी.एल.वी.) के रूप में सेवाएँ देंगे।
- ❖ विवादों का परस्पर सूझबूझ व सुलह से सामंजस्यपूर्ण निराकरण।

विधिक सेवा प्राधिकरण के दायित्व

- ❖ स्थानीय प्रशासन के समन्वय से आधारभूत सुविधाओं व कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामवासियों को लाभ पहुँचाना।
- ❖ 30 से 40 गांवों हेतु लीगल एड क्लीनिक की स्थापना, प्रचार-प्रसार एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।
- ❖ लीगल एड क्लीनिक में चयनित पैरालीगल वालेन्टियर (पी.एल.वी.) सेवाएं देंगे।
- ❖ दूरभाष नंबर, पी.एल.वी. के बैठक दिवस व समय एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का डिस्पले बोर्ड।
- ❖ विवादों के निराकरण का रजिस्टर संधारण।
- ❖ सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा मासिक समीक्षा बैठक।
- ❖ अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा मॉनिटरिंग सेल की बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य विभागों के समन्वय से समस्याओं का समाधान।
- ❖ ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत मामलों के न्याय निर्णयन में ग्राम न्यायाधिकारी से समन्वय।

GUIDELINES ISSUED TO KEEP VILLAGES CORONA FREE

Taking into consideration the corona pandemic, the following guidelines have been issued to help members of the village community organize themselves, reduce the pressure on government machinery and create a circle of positivity:-

PREVENTIVE MEASURES

1. Sarpanch, Members of Panchayat and Panchayat Secretary create awareness through intensive campaigns:-
 - a) What is corona?
 - b) How it may occur and spread?
 - c) Effect of Corona.
 - d) Benefits of vaccination
2. Involvement of Religious Leaders, Teachers of Primary School and Anganwadi Workers in the awareness camp with special emphasis on-
 - a) Need and method for wearing masks, necessity of maintaining six feet social distance, frequent hand washing.
 - b) Awareness of “suspected person”- Sore throat, fever, body ache, diarrhea, breathlessness, loss of taste etc.
3. Ensuring availability of oxymeter, thermal scanner, basic corona medicines including Azithromycin and Doxycycline. Zinc, Magnesium and Vitamin D3.

ISOLATION & AVOIDANCE MEASURES-

4. Smoking, chewing tobacco and liquor consumption be avoided.
5. Restriction to visiting towns, weekly markets, haat bazaars and crowded places.
6. Community leaders to quarantine incoming traders/agents/hawkers from nearby towns to preempt potential carriers of Corona.
7. Preventing evening folk dances, gatherings at marriages and funerals.
8. Avoidance of quacks, local un-authorized medical practitioners (i.e. ojhas, neem, hakeems and jholachhap doctors) and rumor mongering.

POSITIVE MEASURES-

09. Vaccination, early identification, isolation and RTPCR or CT-Scan
10. Intake of simple, locally available fresh food rich in vitamin C, like Lemon etc.
11. Isolated persons be given the message of- "We are with you".

- a) Arrange to send food, medicine and daily needs twice a day through community mobilization in safe environment.
 - b) Daily inquiry about temperature and general wellbeing.
 - c) Simultaneously evening prayer for well being of all particularly the patient in every home with the ringing of temple or church bell or azaan as the case may be.
- Arrangement of dedicated vehicles to cater to daily needs.





Distribution of Sanitization kits, Ration kits & Fruits in Litigation Free Village Bija, Patan



Under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq Patron-in-Chief and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority Officers and officials of the State Legal Services Authority visited Village Bija and Village Baroda Tehsil Patan District Jabalpur identified as Litigation Free Village on 02nd June 2021. This occasion was marked with the distribution of ration kits/fruits, Sanitization Kits including Masks, Sanitizer, Gloves, zinc tablets etc. to needy rural children and families with the help of K.E.C. Company & various NGOs while adhering to Covid 19 protocol.

Along with this, awareness was spread regarding prevention of corona virus and the villagers were also motivated to get vaccinated. On this occasion, villagers submitted their grievances to which the Officers directed the concerned to resolve such grievances.

The Litigation Free Village Scheme is the flagship programme of MPSLSA where at least one village in each Taluka is supported by the Legal Services Institution by constitution of the Legal Self-Service Group to promote free and proactive legal aid mechanisms for dispute resolution at the grassroots level. Committed efforts are being made to upgrade the status of these villages to Adarsh Gram.

In the said program, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary MPSLSA, Shri Rambharesh Yadav, Chairman Tehsil Legal Services Committee Patan, Shri Kamal Mishra HR Head K.E.C. Company, Legal Aid Officer Mr. Zeeshan Khan and Mr. Muhammad Jilani, Village Sarpanch, Secretary, Doctor of the local health center and Paralegal Volunteers were also present.



Upliftment of Litigation Free Villages to Adarsh Gram-DLSA VIDISHA

Under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq Patron-in-Chief and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority Officers and officials of the State Legal Services Authority visited Village Bija and Village Baroda Tehsil Patan District Jabalpur identified as Litigation Free Village on 02nd June 2021. This occasion was marked with the distribution of ration kits/fruits, Sanitization Kits including Masks, Sanitizer, Gloves, zinc tablets etc. to needy rural children and families with the help of K.E.C. Company & various NGOs while adhering to Covid 19 protocol.

Along with this, awareness was spread regarding prevention of corona virus and the villagers were also motivated to get vaccinated. On this occasion, villagers submitted their grievances to which the Officers directed the concerned to resolve such grievances.

The Litigation Free Village Scheme is the flagship programme of MPSLSA where at least one village in each Taluka is supported by the Legal Services Institution by constitution of the Legal Self-Service Group to promote free and proactive legal aid mechanisms for dispute resolution at the grassroots level. Committed efforts are being made to upgrade the status of these villages to Adarsh Gram.

In the said program, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary MPSLSA, Shri Rambharesh Yadav, Chairman Tehsil Legal Services Committee Patan, Shri Kamal Mishra HR Head K.E.C. Company, Legal Aid Officer Mr. Zeeshan Khan and Mr. Muhammad Jilani, Village Sarpanch, Secretary, Doctor of the local health center and Paralegal Volunteers were also present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर द्वारा "विवाद विहीन ग्राम योजना 2000" का क्रियान्वयन करते हुए माह तहसील शुजालपुर से 12 कि.मी. दूर स्थित ग्राम भीमपुरा को विवाद विहीन ग्राम योजना के लिए चयनित किया गया, तत्पश्चात् उक्त ग्राम के लिए स्थानीय राजस्व विभाग के सहयोग से सेवा दल का गठन किया गया तथा सेवा दल के सदस्यों से वेबिनार के माध्यम से तथा भौतिक बैठकों के माध्यम से ग्राम में लंबित विवादों की जानकारी ली गई। ग्राम में वरिष्ठ ग्रामीणजन, बुजुर्गों एवं पंचों द्वारा समय-समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा किसी के मध्य कोई भी विवाद होने पर पुलिस एवं न्यायालय में जाने से पूर्व ही उसका निराकरण आपसी सहमति से राजीनामा से करवा दिया जाता है। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा ग्रामवासियों को नशा न करने संकल्प दिलाया गया।





Glimpses of camp and meeting under LITIGATION FREE VILLAGE SCHEME



*Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
.....Edward Everett Hale*

SUCCESS STORY

Mediation and Pre Litigation Mediation

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा लगाए जा रहे विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूक होकर एक आवेदिका ने स्वयं उपस्थित होकर मध्यस्थता केन्द्र देवास में अपने पारिवारिक विवाद के निराकरण हेतु वादपूर्व मध्यस्थता अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला प्राधिकरण देवास द्वारा उक्त मामले में अनावेदकगण को वादपूर्व मध्यस्थता हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। आवेदक पक्ष की ओर से महिला एवं उसकी माता तथा अनावेदक पक्ष की ओर से महिला का पति, ससुर एवं जेठ उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर मध्यस्थ द्वारा वाद-पूर्व मध्यस्थता के अंतर्गत मध्यस्थता की कार्यवाही की जाकर दोनों पक्षों के साथ एकल एवं संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं। मध्यस्थ द्वारा लगभग दो साल से अलग रह रहे पति-पत्नी को उनके आपसी एवं परिजनों के मनमुटाव को दूर कर एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों पति-पत्नी ने संयुक्त रूप से अपने एवं परिजनों के मध्य उत्पन्न विवाद को भुलाकर साथ रहने का निर्णय किया एवं पति अपनी पत्नी एवं बच्चे को साथ लेकर खुशी-खुशी अपने घर गए।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

आवेदिका श्रीमती रजिया अली पति श्री जोएब अली बोहरा द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका द्वारा बताया गया कि जुजर पिता श्री असगर अली बादशाह द्वारा बाजना बस स्टेण्ड पर अली एल्यूमिनियम फ्रेब्रीकेशन के नाम से संचालित दुकान का किराया आवेदिका को नियमानुसार भुगतान नहीं कर रहा है। आवेदिका द्वारा किराया मांगने पर भी किराया नहीं दे रहा है तथा आवेदिका को गुमराह कर रहा है। आवेदिका द्वारा कई बार उक्त दुकानदार को दुकान खाली करने के लिए भी कहा गया पर वह दुकान खाली नहीं कर रहा है, न ही किराया दे रहा है। जिससे आवेदिका द्वारा विवश होकर पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही की गई। जिस पर कार्यवाही स्वरूप अनावेदक को सूचना पत्र भेजकर इस कार्यालय में बुलाया गया। उसने व्यक्त किया की किराया आवेदिका के पति श्री जोएब अली स्वयं को मकान मालिक बताकर प्राप्त कर रहे हैं। आवेदिका के पति ने भी स्वतः उपस्थित होकर



किराया प्राप्त करना स्वीकार किया। पति-पत्नी में विवाद होने से आवेदिका के स्वत्व के आधार पर उभयपक्षों को समझाया गया तथा नवीन किरायानामा लिखवाकर 4500/- मासिक किराये के लिए अनुबंध कराया गया। उभयपक्ष उक्त राजीनामे से संतुष्ट एवं सहमत हैं तथा भविष्य में इस राजीनामे का पालन करेंगे। इस प्रकार एक मकान मालिक तथा किरायेदार के मध्य उत्पन्न विवाद का मध्यस्थता द्वारा स्वैच्छया एवं परस्पर समझौते से वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक द्वारा संतुष्टिपूर्वक समाधान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

मध्यस्थता ने जोडा परिवार

मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विविध आपराधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण लंबित था, जो पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत का मामला था, उक्त प्रकरण का निराकरण मध्यस्थता के द्वारा सुलह-समझौता के आधार पर दिनांक 20. 01.2021 को अंतिम रूप से किया गया। इसके पूर्व उक्त प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ में मीडिएशन हेतु रैफर किया गया था, जहां पति-पत्नी के मध्य अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समझौता वार्ता करवायी गई एवं पति-पत्नी को साथ-साथ रहने की समझाईस देकर दोनों में सुलह करवायी गई, साथ ही भविष्य में शांतिपूर्वक दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिये प्रेरित किया। जिसके फलस्वरूप पत्नी एवं पति राहुल ने पुनः साथ-साथ रहने के लिये सहमति व्यक्त की और दोनों एक साथ न्यायालय परिसर से ही खुशी-खुशी अपने घर गये इस प्रकार एक बिखरा हुआ परिवार मध्यस्थता के माध्यम से पुनः एक होकर जुड़ गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा ग्राम माधौगढ़ जिला अशोकनगर के निवासी पीड़ित श्री गबरा एवं उनकी पत्नी श्रीमती शबीना बाई के बच्चे काजल, अनुपमा, निशांत एवं लक्ष्मी के कर्नाटक राज्य के बैंगलोर के किसी प्राईवेट विद्यालय में संदिग्ध फंसे रहने की संभावना पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर को हस्तक्षेप कर वस्तुस्थिति जानने हेतु मौखिक निर्देश दिया गया था। जिससे फलस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर ने उक्त विषय तत्काल



मध्यस्थता ने जोडा परिवार



विशालता से प्रति-धारी तब सम्बन्धित दुःखन बरगई साधा। -आरुणिका

[illegible]

पॉलि-एथीन के घन चिह्न जहाँ शरीरों के बीच घुस जाते हैं।

[illegible]

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी दिनांक 06.02.2021 को ग्राम माधौगढ जो कि पूर्णतः जनजातीय समुदाय का ग्राम है वहां पहुंचे तथा प्रारंभिक स्तर पर ग्रामवासियों से संपर्क स्थापित किया। तत्पश्चात् वहां के निवासियों के जीवन यापन हेतु अजीविका/रोजगार आदि के साधनों एवं उनके रहन-सहन, खान-पान, जीवन यापन की पद्धति, उनके कृषि व्यापार, व्यवसाय आदि की निर्भरता एवं उनका शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

समुदाय के लोगों द्वारा बताया गया कि वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक जिले से दूसरे जिले एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर छोटी-छोटी वस्तुओं जैसे-बच्चों के खिलौने, बलून, गुलदस्ते आदि सामग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके पास शासन द्वारा आवंटित औसतन तीन से छह बीघा जमीन है, जिस पर वे कृषि कार्य करते हैं।

पारदी समाज में कच्ची शराब बनाने एवं शराब के सेवन की सामाजिक स्वीकार्यता के कारण संपूर्ण पारदी समाज नशे की चपेट में रहते हुये प्रतिदिन कमाकर अपना उदर-पोषण करती है, जिस कारण यह जनजाति विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और इस जनजाति का शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व न के बराबर है और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी इस जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

माधौगढ ग्राम के संपर्क के दौरान ग्रामवासियों से चर्चा किये जाने पर ज्ञात हुआ कि पारदी समाज के कुछ निवासी जो आजीविका के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य बैंगलोर में बलून विक्रय के उद्देश्य से पहुंचे थे। वहां के किसी गिरोह द्वारा बच्चों की शिक्षा के नाम पर इस समाज के बच्चों को प्रायवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया साथ ही वे उन बच्चों को हीरो-हीरोईन, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर बनाने का लोभ दिया जाता है। बच्चों की माताओं को वही स्कूल में व्यवस्था के नाम पर रख लिया जाता है और उन्हें पक्का मकान का भी लालच दिया गया, किंतु गिरोह के द्वारा आवास के नाम पर कभी कुछ नहीं दिया गया।

यह भी ज्ञात हुआ कि उन बच्चों को उनके माता-पिता से न तो मिलने दिया जाता है और यदि उनके माता-पिता बच्चों से मिलने जाते हैं, साथ ही बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। उन बच्चों के समस्त दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि अपने कब्जे में रख लिये हैं। वे समस्त दस्तावेज उनके माता-पिता को नहीं दिये जा रहे हैं और मांगे जाने पर मार-पीट करते हैं।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, पुलिस अधीक्षक एवं पी.एल.व्ही आदि के सहयोग से लगातार ग्राम





DLSA ANUPPUR

On 15-02-2021, legal literacy camp was organized in village Amarkantak under NALSA (Legal services for mentally ill and disabled persons) Scheme. The attendees were made aware of the law related to Mental health act, protection & Defense available to mentally ill person under

various law. Along with this, people were made aware about general law, victim compensation scheme, public utility Lok Adalat, free and competent legal assistance.


A homeless mental ill woman was walking near the temple in dirty clothes, she was rescued to the hospital with the help of plvs and police. She is undergoing treatment, her condition is better than before.



DLSA INDORE

On a complaint before Legal Assistance Cell for Labour constituted in coordination with the Labour Office, DLSA Indore through its PLV Arina Ali, specially trained member of the Cell drafted an application on behalf of the workman Amitesh Saini.

The Labour Commissioner took action on the application filed at the behest of Amitesh Saini and through effective assistance by DLSA Indore, the labour received his due wages.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल की पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा समाज सेविका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया, जिसमें एक गरीब परिवार की कन्या संध्या मिश्रा को गोद लेकर उसकी सहमति से ग्राम कुदरी तहसील सोहागपुर में दिनांक 26.06.2021 को विवाह संपन्न किया गया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक अन्य पी.एल.व्ही. द्वारा कंवर समाजसेवियों के साथ मिलकर इस वर्ष अपने समाज की विधवा शांति सिंह कंवर का विधुर राकेश सिंह कंवर ग्राम कदौड़ी के मध्य पुनर्विवाह का कार्य सम्पन्न कराया, जो वास्वत में एक नारी सम्मान की रक्षा के साथ-साथ दो अधुरे व्यक्तियों को दामपत्य जीवन में खुशहाल रहने का एक पुनीत कार्य है। दो व्यक्तियों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाला कार्य मानव जीवन एवं मानवीय दृष्टि से सार्थक पहल है।



*There is no charm equal to tenderness of heart.
.....Jane Austen*



STATISTICAL DATA

MEDIATION

Month of January 2021 to June 2021								
Opening balance (A)	No. of cases referred during the year (B)	Total No. of Cases (A+B)	Settled Cases (C)	Unsuccessful Cases (D)	Non Started	Total No. of Pending cases	Percentage of successful Settled cases	No. of Mediation awareness Camp
375	15,870	16,245	2,938	8,194	2,456	2,657	26.39	791

ADR Centers and Mediation Centers related information

Total Number of ADR Centers	43
Total No of Existing Mediation Centers other than ADR Centers :	143
Total functional	43
Under Construction	2

Number of Mediators (Total of both in ADR Centers and Mediation Centers)

S.No.	Post	Trained	Deployed (No. of Trained Mediators entrusted with cases during the month)
1	Judicial Officers	1435	293
2	Lawyers	329	56
3	Any other	112	10

Community Mediation Training Programme

S.No.	Date of Training	Name of Community	Districts	No. of Participants	District where Community Centres inaugurated
1	06.01.2021 to 18.01.2021	Muslim	Jabalpur, Shahdol, Mandleshwar, Dewas, Barwani, Anuppur, Neemuch	16	Mandleshwar
2	21.01.2021 to 01.02.2021	Meena	Bhopal, Gwalior, Harda, Hoshangabad, Indore, Khandwa, Morena, Raisen, Rajgarh	8	-
3	03.02.2021 to 12.02.2021	Kshatriya	Gwalior, Bhind, Morena, Khandwa, Indore, Jabalpur, Bhopal, Shivpuri, Ujjain	14	Khandwa
4	18.02.2021 to 27.02.2021	Bengali	Jabalpur	8	Jabalpur
5	16.03.2021 to 27.03.2023	Bramhana	Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria and Shajapur	13	Rajgarh
Total				59	



COMMUNITY MEDIATION REPORT

UP TO JUNE- 2021

No. of Pre-litigation Mediation Cases Opening Balance (A)	Total Received Cases (B)	Total (A+B)	Settled Cases (C)	Unsettled cases (D)	Non-Starter Cases (E)	Total Considered Cases (C+D+E)	Pending Cases ((A+B)-(C+D+E))
3	69	72	25	9	10	44	28

PRI-LITIGATION MEDIATION REPORT

from January 2021 to June 2021 (Dist. Court)

Opening balance (A)	No. of cases referred during the Month (B)	Total No. of Cases (A+B)	Settled Cases (C)	Unsuccessful Cases (D)	Non Started (E)	Total No. of Pending cases	Percentage of successful Settled cases
184	455	639	151	67	291	130	43.39

LOK ADALAT PROGRAMMES

Disposals and Beneficiaries under various Lok Adalats
(Month - January 2021 to June 2021)

S. No.	Types of Lok Adalat	No. of Lok Adalat Held on	Total Taken Up Cases	Total Disposed off Cases	Total Settlement amount (Rs.)	Total Benefited Person
1	2	3	4	5	6	7
1	National Lok Adalat (as per direction of NALSA)	0	0	0	0	0
2	Permanent and Continuous Lok Adalat (u/s 19)	250	19789	5956	766384069	11343
3	Permanent Lok Adalat for Public Utilities Services (u/s 22 B)	266	1122	151	2257329	128
4	MNREGA Lok Adalat	0	0	0	0	0
5	Jail Lok Adalat	4	0	0	0	0
6	Mobile/Field Lok Adalat	12	25	8	0	23
7	Special E-Lok Adalat (Online mode)	0	0	0	0	0
	Total	532	20936	6115	768641398	11494
Note: - Cases settled through Plea-Bargaining Process		0	1	1	0	2



TRAINING PROGRAMMES

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF TRAINING PROGRAMMES CONDUCTED From January 2021 to June 2021				
S. No.	Training programme conducted	Type of programme	No. of training programmes conducted	No. of Participants
1	Panel Lawyers	Basic Training/ Refresher Program/Induction Course/Orientation	74	1332
2	Para-Legal Volunteers (PLVs)	Basic/Induction/Orientation/Refresher Program	144	3929

LEGAL SERVICES CLINICS

For the Month of January 2021 to June 2021

a	No. of Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centers:	Colleges/ Universities	Villages	Community Centres	Courts	jails	JJB	Others	Total
		98	404	168	60	122	48	302	1202
b	No. of persons visited the Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres:	399	1698	888	1038	867	831	2418	8139
c	No. of persons provided assistance in Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres	382	981	261	734	439	471	1971	5239

LEGAL LITERACY/AWARENESS CAMPS/PROGRAMMES

(Including Seminars, Workshops, Debates etc.)
Month for January 2021 to June 2021

S.N.	Mode/place of awareness programme	No. of programme held	No. of Persons attended
1	School/College/university	404	34464
2	Village/community Centre	1267	62921
3	Jail/other custodial home	602	66063
4	Slum and labour colonies	43	2033
5	Melas/ Exhibitions	4	542
6	Radio	0	0
7	Community Radio	0	0
8	TV	1	0
9	Others	1442	68401
Total		3763	234424



DATA UNDER NALSA CAMP SCHEME

January 2021 to June 2021

S.N.	Scheme Name	Camps held	Total Beneficiaries Persons
1	NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016	139	4667
2	NALSA (Legal Services to Disaster Victims Through Legal Services Authorities) Schemes, 2010	158	7955
3	NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015	190	6936
4	NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2015	84	3465
5	NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015	244	11862
6	NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015	88	5000
7	NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Scheme) Scheme, 2015	115	4886
8	NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015	110	6644
9	NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015	147	9656
10	NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016	79	3674
	Total	1354	64745

LEGAL SERVICES BENEFICIARIES

(Legal Aid & Advice)

From January 2021 to June 2021

S. No.	Categories	Providing Panel Advocate	Advice/ Counselling	Other Services (PI Specify)
1	Scheduled Caste	415	4638	26
2	Scheduled Tribe	367	5274	56
3	Women	1033	10995	15
4	Children	342	5046	9
5	In Custody	2677	18300	42
6	Persons With disability	38	1	0
7	Industrial Workmen	0	0	0
8	Transgender	5	0	0
9	Victims of Trafficking in Human beings or begar	53	0	0
10	Victims of Mass Disaster, Violence, Flood, Draught, Earthquake and Industrial Disaster	4	0	773
11	General (Persons Whose annual income does not exceed the Prescribed limit)	605	3038	72
12	Other	672	7451	54
	Total	6211	54743	1047

NEWS GALLERY

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
207	74	281

[illegible]



सिटी स्टार

ग्राम पंचायत शाहपुर में लगा विधिक सेवा शिविर

विधिक सेवा शिविर के तहत गांव में विधिक सेवा प्रदान की जा रही है। शिविर की शुरुआत गांव के सरपंच के अध्यक्ष ने की। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है।

न्याय प्राप्त करने से कोई भी वंचित नहीं रहे : सिंह

श्री सिंह ने कहा कि विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा सके। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है।

खंडवा पत्रिका

पत्रिका

वृद्ध महिला राजम्मा को रेलवे लाइन में पहुंचाया अपने घर

राजम्मा को रेलवे लाइन में पहुंचाया गया था। गांव के लोगों ने उसे वापस अपने घर पहुंचाया। गांव के लोगों ने उसे वापस अपने घर पहुंचाया।

ऑनलाइन कराया योग और प्राणायाम, कहा- इसके लिए समय जरूर निकालें

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

जन कल्याण के लिये किये जा रहे हैं विधिक साक्षरता शिविर : श्री सिंह

श्री सिंह ने कहा कि विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा सके। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है। शिविर में गांव के लोगों को विधिक सेवा प्रदान की जा रही है।

5 माह से एक भी ग्रामीण ने नहीं लगाया टीका, समझाईश के बाद शिविर में डोज पड़ गए कम

ग्रामीणों को टीका लगाने के लिए शिविर में डोज पड़ गए कम। ग्रामीणों को टीका लगाने के लिए शिविर में डोज पड़ गए कम।

वैक्सीन लगाने के बाद थपकने लगे शरीर से चम्मच और सिकके

ग्रामीणों को टीका लगाने के बाद थपकने लगे शरीर से चम्मच और सिकके। ग्रामीणों को टीका लगाने के बाद थपकने लगे शरीर से चम्मच और सिकके।

251 लोगों ने समझाईश टीका

251 लोगों ने समझाईश टीका। 251 लोगों ने समझाईश टीका।

ऑनलाइन कराया योग और प्राणायाम, कहा- इसके लिए समय जरूर निकालें

ऑनलाइन कराया योग और प्राणायाम, कहा- इसके लिए समय जरूर निकालें। ऑनलाइन कराया योग और प्राणायाम, कहा- इसके लिए समय जरूर निकालें।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है।

Legal aid clinic started at Sarojini College

Legal aid clinic started at Sarojini College. Legal aid clinic started at Sarojini College.

सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में शुरू किया लीगल एड क्लीनिक

सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में शुरू किया लीगल एड क्लीनिक। सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में शुरू किया लीगल एड क्लीनिक।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

पत्रिका न्यूज नेटवर्क। पत्रिका न्यूज नेटवर्क।

भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वाश्रसी महाविद्यालय में मंगलवार को लीगल एड क्लीनिक का शुभारंभ किया गया।

भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वाश्रसी महाविद्यालय में मंगलवार को लीगल एड क्लीनिक का शुभारंभ किया गया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया।

जेल प्रहरियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

जेल प्रहरियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। जेल प्रहरियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू।

मध्यस्थता से निपटारे जाएंगे आपसी मामले

मध्यस्थता से निपटारे जाएंगे आपसी मामले। मध्यस्थता से निपटारे जाएंगे आपसी मामले।

विवाद विहीन ग्राम बीजा में राहत सामग्री का वितरण

विवाद विहीन ग्राम बीजा में राहत सामग्री का वितरण। विवाद विहीन ग्राम बीजा में राहत सामग्री का वितरण।

एक रूपए किराये पर उपलब्ध करा रहे हैं मेडीकल इक्विपमेंट

एक रूपए किराये पर उपलब्ध करा रहे हैं मेडीकल इक्विपमेंट। एक रूपए किराये पर उपलब्ध करा रहे हैं मेडीकल इक्विपमेंट।

Legal fraternity adopts online mode of working with Helpline No 15100

Legal fraternity adopts online mode of working with Helpline No 15100. Legal fraternity adopts online mode of working with Helpline No 15100.

MPSLSA office-bearers hold cleanliness drive

MPSLSA office-bearers hold cleanliness drive. MPSLSA office-bearers hold cleanliness drive.

जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए

जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए। जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए।

जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए

जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए। जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए।



Editorial Team

Giribala Singh
Member Secretary

Arvind Shrivastava
Deputy Secretary

Jeetendra Mohan Dhurve
District Legal Aid Officer

Shashank Singh Chauhan
Stenographer

Abhay Soni
Asstt. Grade III

Madhya Pradesh State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 (M.P.)

Phone: 0761-2678352, 2624131, Fax: 2678537 email : mpslajab@nic.in website: mpslsa.gov.in

ONLY FOR PRIVATE CIRCULATION

Designed & Printed by: GAPP, JBP, gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, Mo. 09425151241